



## JHARKHAND JUDICIAL PRELIMINARY EXAM 2016

1. Which of the parts of the given sentence contains an error? "One of my sister lives near the Indian Gate in New Delhi." /

(a) One of my sister  
(b) lives  
(c) near the Indian Gate  
(d) in New Delhi

Ans. [a]

2. Fill in the blank with a suitable form of verb in the following: My friend ..... living in Mumbai since 2014.

(a) is  
(b) has been  
(c) is being  
(d) was being

Ans. [b]

3. Fill in the blank with an appropriate preposition. They belong to the same party, but they don't agree ..... party, but they don't agree ..... everything.

(a) in  
(b) at  
(c) on  
(d) with.

Ans. [c]

4. The word 'millennium' refers to a period of:

(a) one hundred years  
(b) one million years  
(c) one thousand years  
(d) ten thousand years

Ans. [c]

5. Fill in the blank with the suitable choice. Delhi is ..... than Shimla in May.

(a) hot  
(b) hotter  
(c) more hot  
(d) more hotter.

Ans. [b]

6. Which of the following is similar in meaning of "that which cannot be read"?

(a) Illegitimate  
(b) Illegal  
(c) Illegible  
(d) Illogical

Ans. [c]

7. Select the appropriate choice to fill in the blank in the sentence. .... tigers are ferocious.

(a) A  
(b) The  
(c) An  
(d) No article is required.

Ans. [d]

8. Identify the type of sentence given below: Can you lend me your pen, please

(a) Declarative  
(b) Operative  
(c) Imperative  
(d) Interrogative.

Ans. [d]

9. An ophthalmologist treats the disorders of:

(a) Skin  
(b) Heart  
(c) Eye  
(d) Brain.

Ans. [c]

10. The word "terrestrial" means connected with: / "स्थलीय" शब्द का अर्थ है:

(a) Water / जल  
(b) Land / भूमि  
(c) Space / अंतरिक्ष  
(d) Air / वायु।

Ans. [b]

11. Who appoints the Judges of High Courts of India? / भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

(a) Prime Minister / प्रधान मंत्री  
(b) Chief Justice of India / भारत के मुख्य न्यायाधीश  
(c) President of India / भारत के राष्ट्रपति  
(d) Law Minister of India / भारत के मंत्री।

Ans. [c]

12. The year of Quit India Movement is..... / भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है.....

(a) 1930  
(b) 1940  
(c) 1942  
(d) 1947

Ans. [c]

13. Deficiency of which of the following Vitamins cause 'Night-blindness'? / निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से 'रतौंधी' होती है?

(a) Vitamin B / विटामिन बी  
(b) Vitamin A / विटामिन ए  
(c) Vitamin C / विटामिन सी  
(d) Vitamin D / विटामिन डी

Ans. [b]





14. Which one of the following gases is the cause of 'Greenhouse effect' (warming of the earth surface)?/ निम्नलिखित में से कौन सी गैस 'ग्रीनहाउस प्रभाव' (पृथ्वी की सतह का गर्म होना) का कारण है?

- (a) Nitrogen oxide /नाइट्रोजन ऑक्साइड
- (b) Nitrous oxide /नाइट्रस ऑक्साइड
- (c) Carbon dioxide /कार्बन डाइऑक्साइड
- (d) Carbon monoxide./ कार्बन मोनोऑक्साइड।

Ans. [c]

15. The UNO was formed on .... / संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन .... को हुआ था।

- (a) 24th October, 1945 /24 अक्टूबर, 1945
- (b) 23rd October, 1945 /23 अक्टूबर, 1945
- (c) 24th October, 1944 /24 अक्टूबर, 1944
- (d) 22nd October, 1944 /22 अक्टूबर, 1944

Ans. [a]

16. The American Journal 'Time' has chosen one of the following as 'the person of the year 2015': /अमेरिकी जर्नल 'टाइम' ने निम्नलिखित में से एक को 'वर्ष 2015 का व्यक्ति' चुना है:

- (a) Angela Merkel /एंगेला मर्केल
- (b) Barack Obama /बराक ओबामा
- (c) Narendra Modi/ नरेंद्र मोदी
- (d) Margaret Thatcher /मार्गरेट थैचर

Ans. [a]

17. Amravati is being made new capital of which of the following state? / अमरावती को निम्नलिखित में से किस राज्य की नई राजधानी बनाया जा रहा है?

- (a) Goa /गोवा
- (b) Andhra Pradesh /आंध्र प्रदेश
- (c) Mizoram/ मिजोरम
- (d) Chhattisgarh /छत्तीसगढ़

Ans. [b]

18. Justice Meenakshi Madan Rai has been sworn in as the first woman judge of High Court of which of the following states? /न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है?

- (a) Sikkim/ सिक्किम
- (b) Kerala /केरल
- (c) Tamil Nadu /तमिलनाडु
- (d) Delhi /दिल्ली

Ans. [a]

19. Who of the following is the writer of the book, 'Wings of Fire'? / निम्नलिखित में से 'विंग्स ऑफ फायर' पुस्तक के लेखक कौन हैं?

- (a) Sarojini Naidu / सरोजिनी नायडू
- (b) A.P.J. Abdul Kalam / ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
- (c) Jagannath Pillai /जगन्नाथ पिल्लई
- (d) Amrita Pritam. /अमृता प्रीतम।

Ans. [b]

20. Cristiano Ronaldo has recently been voted as a number one footballer. He hails from which of the following countries? /क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हाल ही में नंबर एक फुटबॉलर चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं?

- (a) Portugal/ पुर्तगाल
- (b) Argentina /अर्जेंटीना
- (c) Brazil /ब्राजील
- (d) Germany /जर्मनी।

Ans. [a]

21. A Magistrate has the power to direct the police to investigate into an offence in Cr.P.C. under:/ सीआरपीसी में एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को किसी अपराध का अन्वेषण करने का निर्देश देने की शक्ति के अंतर्गत है।:

- (a) Section 156(3) Cr.P.C. /धारा 156(3) सी.आर.पी.सी.
- (b) Section 156(2) Cr.P.C. /धारा 156(2) सी.आर.पी.सी.
- (c) Section 156(1) Cr.P.C./ धारा 156(1) सी.आर.पी.सी.
- (d) All of the above. /उपरोक्त सभी।

Ans. [a]

Linked Provisions:-

1. Section 2(h) - Investigation.
2. Section 157 - Procedure for investigation.
3. Section 190 - Cognizance of offences by Magistrates.
4. Section 202 - Magistrate direct investigation to be made by Police officer.

Explanation:- According to Section 156(3) , the magistrate authorised by Section 190 may direct a police officer to investigate if the police authority fails to carry out its responsibility, which is to record the complaint or FIR. This clause applies when a police officer files a complaint or F.I.R.

लिंकिंग प्रावधान:-

1. धारा 2(ज) - अन्वेषण।
2. धारा 157 - अन्वेषण की प्रक्रिया।
3. धारा 190 - मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान।
4. धारा 202 - मजिस्ट्रेट अन्वेषण का निर्देश पुलिस अधिकारी को देगा।

स्पष्टीकरण:- धारा 156(3) के अनुसार, धारा 190 द्वारा अधिकृत मजिस्ट्रेट एक पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने का निर्देश दे सकता है यदि पुलिस प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहता है, जो परिवाद या एफआईआर दर्ज करना है। यह धारा तब लागू होती है जब कोई पुलिस अधिकारी परिवाद या एफआईआर दर्ज करता है।

22. Under the scheme of Criminal Procedure Code non-cognizable offences are:/ दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध हैं:

- (a) Private wrongs/ प्राइवेट दोष
- (b) Public wrongs /सार्वजनिक दोष
- (c) Both public and private wrongs /सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों दोष
- (d) None of the above. /उपरोक्त में से कोई नहीं।

Ans. [a]

Linked Provisions:-

1. Section 2(c) - Cognizable offence.
2. Section 2(I) - Non-cognizable offences.
3. Section 151 - Arrest to prevent the commission of cognizable offences.





4. **Section 154** – Information in cognizable cases.
5. **Section 155** – Information as to non- cognizable cases and investigation of such cases.

**Explanation:-** Cognizable offences are considered to be public wrongs and hence require strict and stringent action to be taken by the State, whereas non cognizable offences are considered to be private wrongs and so their prosecution is left to be initiated by the private person against whom such harm has been inflicted upon.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 2(ग) – संज्ञेय अपराध।
2. धारा 2(ठ) – असंज्ञेय अपराध।
3. धारा 151 – संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए गिरफ्तारी।
4. धारा 154 – संज्ञेय मामलों में इत्तिला।
5. धारा 155 – असंज्ञेय मामलों की इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण।

**स्पष्टीकरण:-** संज्ञेय अपराधों को सार्वजनिक दोष माना जाता है और इसलिए राज्य द्वारा सख्त और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जबकि असंज्ञेय अपराधों को निजी दोष माना जाता है और इसलिए उनका अभियोजन उस निजी व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाना है जिसके विरुद्ध इतना नुकसान पहुंचाया गया है।

23. **Under Section 159 of Cr.P.C., the Magistrate has the power to: / सीआरपीसी की धारा 159 के तहत, मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है:**

- (a) Depute any Magistrate subordinate to him to hold a preliminary inquiry/ प्रारंभिक जांच करने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को नियुक्त करें
- (b) Direct-investigation by the police/ पुलिस द्वारा सीधा अन्वेषण
- (c) Either (a) or (b)/ या तो (ए) या (बी)
- (d) Only (b) and not (a). /केवल (बी) और नहीं (ए)।

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 2(h)** – Investigation.
2. **Section 2(g)** – Inquiry.
3. **Section 148** – Local inquiry.

**Explanation:-** As per **Section 159** the Magistrate can direct an investigation or at once proceed to hold a preliminary inquiry or depute any subordinate Magistrate to conduct such preliminary inquiry or otherwise to dispose of the matter in the manner provided by the CrPc.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 2(ज) – अन्वेषण।
2. धारा 2(च) – जांच।
3. धारा 148 – स्थानीय जांच।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 159 के अनुसार मजिस्ट्रेट एक अन्वेषण का निर्देश दे सकता है या तुरंत प्रारंभिक जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है या ऐसी प्रारंभिक जांच करने के लिए किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है या अन्यथा सीआरपीसी द्वारा प्रदान किए गए तरीके से मामले का निपटान कर सकता है।

24. **Under Section 167 of Cr.P.C. the nature of custody can be altered from judicial custody to police custody and vice-versa, this alteration can be done:**

**/ सीआरपीसी की धारा 167 के तहत अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में बदला जा सकता है और इसके विपरीत, यह परिवर्तन किया जा सकता है:**

- (a) During the period of first seven days / पहले सात दिनों की अवधि के दौरान
- (b) During the period of first fifteen days/ पहले पंद्रह दिनों की अवधि के दौरान
- (c) During the period of first fourteen days / पहले चौदह दिनों की अवधि के दौरान
- (d) During the period of first ten days. / पहले दस दिनों की अवधि के दौरान

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 436A** – Maximum period for which an undertrial prisoner can be detained.
2. **Section 309(2)** Proviso – No Magistrate shall remand an accused person to custody under this section for a term exceeding fifteen days at a time.
3. **Section 57** – Person arrested not to be detained more than twenty- four hours.

**Explanation:-** According to **Section 167**, the maximum time period a person would be in police custody is 15 days. The judicial magistrate can extend the time period of police custody only upto 15 days if the investigation is not complete. In case judicial magistrate is not available, the executive magistrate can order the person to police custody only upto 7 days and not further.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 436ए – अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को अभिरक्षा में रखा जा सकता है।
2. धारा 309(2) प्रावधान – कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत किसी आरोपी व्यक्ति को एक बार में पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में नहीं भेजेगा।
3. धारा 57 – गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा।

**स्पष्टीकरण:-** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के अनुसार किसी व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में रहने की अधिकतम अवधि 15 दिन है। अन्वेषण पूरा न होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस अभिरक्षा की समयावधि केवल 15 दिन तक ही बढ़ा सकता है। यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को केवल 7 दिनों तक की पुलिस अभिरक्षा का आदेश दे सकता है, उससे आगे नहीं।

25. **Cognizance of offence of defamation under Chapter XXI of IPC can be taken: / आईपीसी के अध्याय XXI के तहत मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है:**

- (a) On a complaint made by an aggrieved person / किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई परिवाद पर
- (b) On a police report/ एक पुलिस रिपोर्ट पर
- (c) Suo motu /स्वतः संज्ञान
- (d) All of the above./ उपरोक्त सभी।

**Ans. [a]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 199** – Prosecution for defamation.
2. **Section 237** – Procedure in cases instituted under section 199(2).
3. **Section 499** – Defamation (IPC).





**Explanation:-** The offence of defamation falls under Chapter XXI of the Indian Penal Code. It will thus be seen that **Section 199**, lays down that the offence of defamation cannot be taken cognizance of by a Criminal Court except upon a complaint by the person alleged to have been defamed.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 199 – मानहानि का अभियोजन।
2. धारा 237 – धारा 199(2) के तहत संस्थित मामलों में प्रक्रिया।
3. धारा 499 – मानहानि (आईपीसी)।

**स्पष्टीकरण:-** मानहानि का अपराध भारतीय दंड संहिता के अध्याय XXI के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि धारा 199, सीआरपीसी में कहा गया है कि मानहानि के अपराध का आपराधिक न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, सिवाय उस व्यक्ति की परिवाद के जिस पर मानहानि का आरोप लगाया गया है।

## 26. Joint trial of several persons is permissible:/ कई व्यक्तियों के संयुक्त विचारण की अनुमति है:

- (a) Under Sec. 219 of Cr.P.C. / Cr.P.C. की धारा 219 के तहत।
- (b) Under Sec. 221 of Cr.P.C. / Cr.P.C. की धारा 221 के तहत।
- (c) Under Sec. 222 of Cr.P.C. / Cr.P.C. की धारा 222 के तहत।
- (d) Under Sec. 223 of Cr.P.C./ Cr.P.C. की धारा 223 के तहत।

**Ans. [d]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 2(b)** – Charge.
2. **Section 218** – Separate charges for distinct offences.
3. **Section 219** – Three offences of same kind within year may be charged together.
4. **Section 220** – Trial for more than one offence.

**Explanation:-** **Section 223** talks about the class of persons who can be tried jointly. This section permits a joint trial of several persons under the specified circumstances as there exists some nexus among the various offences committed.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 2(ख) – आरोप।
2. धारा 218 – अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग आरोप।
3. धारा 219 – एक वर्ष के भीतर एक ही प्रकार के तीन अपराधों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है।
4. धारा 220 – एक से अधिक अपराध के लिए विचारण।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 223 उन व्यक्तियों के वर्ग के बारे में बात करती है जिन पर संयुक्त रूप से विचारण चलाया जा सकता है। यह धारा निर्दिष्ट परिस्थितियों में कई व्यक्तियों के संयुक्त विचारण की अनुमति देती है क्योंकि किए गए विभिन्न अपराधों के बीच कुछ सांठगांठ मौजूद है।

## 27. Rule autre fois acquit or autre fois convict is contained: / नियम ऑट्रेफॉइस एक्विट या ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट निहित है:

- (a) Under Section 298 of Cr.P.C. /सीआरपीसी की धारा 298 के तहत।
- (b) Under Section 300 of Cr.P.C./ सीआरपीसी की धारा 300 के तहत।

- (c) Under Section 320 of Cr.P.C./ सीआरपीसी की धारा 320 के तहत।
- (d) Under Section 321 of Cr.P.C./ सीआरपीसी की धारा 321 के तहत।

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

1. **Article 20(2)** – No individual shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. (COI)
2. **Section 236** – Previous conviction.
3. **"Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa"** – no one should be punished twice for the same offence.
4. **Section 11** – Res-judicata (CPC).

**Explanation:-** Autrefois Acquit and Autrefois Convict are french terms meaning "previously acquitted" and "previously convicted" respectively. The combination of both the doctrines gave birth to the Rule against double jeopardy. This Rule refers to that a person cannot be tried for the same offence again if previously he has been either convicted or acquitted. This rule is provided under **section 300**.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. **अनुच्छेद 20(2)** – किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार विचारण नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। (सीओआई)
2. धारा 236 – पूर्व दोषसिद्धि।
3. **"निमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो ऊना एट ईडेम कॉसा"** – किसी को भी एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
4. धारा 11 – प्राज्ञन्याय (सीपीसी)।

**स्पष्टीकरण:-** ऑट्रेफॉइस एक्विट और ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट फ्रांसीसी शब्द हैं जिनका अर्थ क्रमशः "पहले दोषमुक्त किया गया" और "पहले दोषसिद्ध किया गया" है। दोनों सिद्धांतों के संयोजन ने दोहरे दंड के विरुद्ध नियम को जन्म दिया। यह नियम बताता है कि किसी व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं चलाया जा सकता, यदि पहले उसे दोषसिद्ध किया गया हो या दोषमुक्त कर दिया गया हो। यह नियम धारा 300 के तहत प्रदान किया गया है।

## 28. In which of the following cases the Supreme Court held that the High Court cannot directly entertain bail application of POTA accused without its refusal by special court? /निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय विशेष न्यायालय द्वारा इनकार किए बिना पोटा आरोपियों की जमानत याचिका पर सीधे विचार नहीं कर सकता है?

- (a) State of Gujarat v. Santosh Kumar / गुजरात राज्य बनाम संतोष कुमार
- (b) State of Gujarat v. Shalimbhai Abdul Gaffar Shaikh / गुजरात राज्य बनाम शालिमभाई अब्दुल गफ्फार शेख
- (c) State of Uttar Pradesh v. S.N. Srivastava / उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एस.एन. श्रीवास्तव
- (d) State of Maharashtra v. S.K. Dhinde./ महाराष्ट्र राज्य बनाम एस.के. धिंडे.

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 436** – Bail in bailable cases.
2. **Section 437** – Bail in non-bailable cases.







3. **Section 439** – Special powers of High Court or Court of Session regarding bail.
4. **Section 482** – Inherent powers of High Court.
5. **Section 167(2)** – Default bail.

**Explanation:-** In the State of Gujarat v. Shalimbhai Abdul Gaffar Shaikh case, the respondents did not choose to apply for bail before the Special Court for offences under POTA and consequently there was no order of refusal of bail for offences under the said Act. The learned Single Judge exercising powers under Section 439 read with Section 482 CrPC granted them bail.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. **धारा 436** – जमानतीय मामलों में जमानत।
2. **धारा 437** – अजमानतीय मामलों में जमानत।
3. **धारा 439** – जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ।
4. **धारा 482** – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ।
5. **धारा 167(2)** – अनिवार्य जमानत।

**स्पष्टीकरण:-** गुजरात राज्य बनाम शालिमभाई अब्दुल गफ्फार शेख मामले में, प्रतिवादीयों ने पोटा के तहत अपराधों के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प नहीं चुना और परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जमानत से इनकार करने का कोई आदेश नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सीआरपीसी की धारा 482 के साथ पठित धारा 439 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें जमानत दे दी।

29. **'A Legal Remembrancer cannot be made ex-officio public prosecutor.' This was held in:/ 'एक विधि परामर्शी को पदेन लोक अभियोजक नहीं बनाया जा सकता।' यह आयोजित किया गया था:**

- (a) State of Kerala v. Karveetil Krishnan /केरल राज्य बनाम कर्वेटिल कृष्णन
- (b) V. Ramachandra v.M.C. Jagadodharana /वी.रामचंद्र बनाम एम.सी. जगदोधारणा
- (c) Vijay v. State of Maharashtra/ विजय बनाम महाराष्ट्र राज्य
- (d) None of the above./ उपरोक्त में से कोई नहीं।

**Ans. [d]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 2(u)** – Public Prosecutor.
2. **Section 25** – Assistant public prosecutor.
3. **Section 25A** – Directorate of Prosecution.

**Explanation:-** A 'Public Prosecutor' is appointed under **Section 24**. A Public Prosecutor participates in the process of investigation and during the trial. He or she acts as an agent of the state vested with the responsibility of representing the interests of the common people.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. **धारा 2(यु)** – लोक अभियोजक।
2. **धारा 25** – सहायक लोक अभियोजक।
3. **धारा 25क** – अभियोजन निदेशालय।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 24 के तहत एक 'लोक अभियोजक' की नियुक्ति की जाती है। एक लोक अभियोजक अन्वेषण की प्रक्रिया और विचारण के दौरान भाग लेता है। वह राज्य के एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है जिस पर आम लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी होती है।

30. **Urgent cases of Nuisance or apprehended danger falls under:/ न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामले इसके अंतर्गत आते हैं:**

- (a) Section 146 of Cr.P.C./ सीआरपीसी की धारा 146
- (b) Section 144 of Cr.P.C./ सीआरपीसी की धारा 144
- (c) Section 142 of Cr.P.C./ सीआरपीसी की धारा 142
- (d) Section 140 of Cr.P.C./ सीआरपीसी की धारा 140।

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 268** – Public nuisance. (IPC)
2. **Section 188** – Disobedience to order duly promulgated by public servant. (IPC)
3. **Section 144A** – Power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger.
4. Madhu Limay v. S.D.M. Monghyr, AIR 1971.

**Explanation:-** **Section 144** confers powers to issue an order absolute at once in urgent cases of nuisance or apprehended danger. District Magistrate, a Sub-divisional Magistrate or any other Executive Magistrate specially empowered by the State Government in this behalf may make such orders when in their opinion there is sufficient ground for proceeding under the section and immediate prevention or speedy remedy is desirable.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. **धारा 268** – लोक न्यूसेंस। (आईपीसी)
2. **धारा 188** – लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। (आईपीसी)
3. **धारा 144ए** – न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति।
4. मधु लिमये बनाम एस.डी.एम. मोंघिर, एआईआर 1971।

**स्पष्टीकरण:-** **धारा 144** न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामलों में तुरंत पूर्ण आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। जिला मजिस्ट्रेट, एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश दे सकता है जब उनकी राय में धारा के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हो और तत्काल रोकथाम या त्वरित उपचार वांछनीय हो।

31. **When warrant also cannot be executed the court may proceed under? / जब वारंट भी निष्पादित नहीं किया जा सकता तो न्यायालय किसके तहत कार्यवाही कर सकती है?**

- (a) Sec.83 and 84 of Cr.P.C./ सीआरपीसी की धारा 83 और 84।
- (b) Sec. 82 and 83 of Cr.P.C./ सीआरपीसी की धारा 82 और 83।
- (c) Sec.81 and 82 of Cr.P.C./ सीआरपीसी की धारा 81 और 82।
- (d) Sec. 80 and 81 of Cr.P.C./ सीआरपीसी की धारा 80 और 81।

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 2(x)** – Warrant
2. **Section 84** – Claims and objections to attachment.
3. **Section 41(1) (c)** – Proclaimed offender can be arrested without warrant.






# Linking Laws

Link Life with Law

☎ : 773 774 6465

www.LinkingLaws.com



## Comprehension Detail All State Judiciary Exam





Scan this QR Code to  
Enrol the Linking Course

**Click the state which you want to get all information  
related judiciary exams.**



Scan this  
QR Code to  
Linking Laws BLOs

 **Linking Laws**  
Linking Laws Tansukh Sir  
www.LinkingLaws.com  
 Get Subscription Now

Linking Laws is a Professional Institute provide  
AI based Smart Preparation for  
Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India  
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



#### 4. Section 60 – Property liable to attachment and sale in execution of decree. (CPC)

**Explanation:-** In a situation where the execution of the warrant also fails, in such a case the court may proceed with the issuance of proclamation under section 82 and attach the property of the person under section 83, who is eluding or dodging the service of process.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 2(x) – वारंट
2. धारा 84 – कुर्की पर दावे एवं आपत्तियां।
3. धारा 41(1)(सी) – उद्घोषित अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।
4. धारा 60 – डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय के लिए उत्तरदायी संपत्ति। (सीपीसी)

**स्पष्टीकरण:-** ऐसी स्थिति में जहां वारंट का निष्पादन भी विफल हो जाता है, ऐसे मामले में न्यायालय धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के साथ आगे बढ़ सकता है और धारा 83 के तहत उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करें, जो प्रक्रिया की तामील से बच रहा है या चकमा दे रहा है।

#### 32. Plea Bargaining a new chapter, added in Criminal Procedure Code, 1973 by the Criminal Law Amendment Act, 2005 (2 of 2006) is contained in:/ आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2005 (2006 का 2) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में जोड़ा गया एक नया अध्याय सौदा अभिवाक् में शामिल है:

- (a) Section 265A to 265N / धारा 265क से 265ढ
- (b) Section 265A to 265M/ धारा 265क से 265ड
- (c) Section 265A to 265L / धारा 265क से 265ठ
- (d) Section 265A to 265E / धारा 265क से 265ड़

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-**

1. The Criminal Law (Amendment) Act, 2005 (Act 2 of 2006).
2. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

**Explanation:-** The Criminal Law (Amendment) Act, 2005, introduced Plea Bargaining in India by adding Chapter XXIA, comprising Sections 265A – 265L. Section 265A states that plea bargaining is available for offences that are punishable by up to seven years imprisonment. This instrument also cannot be used in offences that affect the socio-economic condition of the country or where the offence is committed against a woman or a child below 14 years of age.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2006 का अधि. 2)।
2. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015।

**स्पष्टीकरण:-** आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने सीआरपीसी में अध्याय XXIA जोड़कर भारत में सौदा अभिवाक् की शुरुआत की, जिसमें धारा 265क - 265ठ शामिल है। धारा 265क में कहा गया है कि सौदा अभिवाक् उन अपराधों के लिए उपलब्ध है जिनमें सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है। इस उपकरण का उपयोग उन अपराधों में भी नहीं किया जा सकता है जो देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं या जहां अपराध किसी महिला या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के विरुद्ध किया गया है।

#### 33. A Magistrate may under Section 252 or Section 255 of Cr.P.C. convict the accused of any offence triable under:/ एक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 252 या धारा 255 के तहत अभियुक्त को निम्नलिखित के अंतर्गत विचारणीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध कर सकता है :

- (a) Chapter XIX of Cr.P.C./ सीआरपीसी का अध्याय XIX।
- (b) Chapter XX of Cr.P.C./ सीआरपीसी का अध्याय XX।
- (c) Chapter XXI of Cr.P.C./ सीआरपीसी का अध्याय XXI।
- (d) Chapter XV of Cr.P.C./ सीआरपीसी का अध्याय XV।

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

1. Section 2(w) – Summon cases.
2. Section 259 – Power of court to convert summons-cases into warrant cases.
3. Section 126 – Procedure of Summons-cases trial shall be followed in maintenance proceedings.

**Explanation:-** The cases that are not warrant cases are summon cases. The cases which are non-cognizable, bailable & compoundable come under the Summons case. Summon cases are exclusively triable by the Magistrate. The procedure to deal with such matter provided in section 251 to 259 of Cr.P.C, 1973 which is not as serious/formal as other trials.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 2(ब) – समन मामले।
2. धारा 259 – समन-मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति।
3. धारा 126 – भरण-पोषण की कार्यवाही में समन-मामलों के विचारण की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण:-** जो मामले वारंट मामले नहीं हैं, वे समन मामले हैं। जो मामले असंज्ञेय, जमानती और शमनीय होते हैं वे समन मामले के अंतर्गत आते हैं। समन मामलों का विचारण विशेष रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ऐसे मामले से निपटने की प्रक्रिया, की धारा 251 से 259 में प्रदान की गई है जो अन्य विचारणों की तरह गंभीर/औपचारिक नहीं है।

#### 34. In which of the following cases the Supreme Court held, that FIR was not substantive evidence and could only be used to corroborate its maker? / निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी (एफआईआर) ठोस सबूत नहीं थी और इसका इस्तेमाल केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता था?

- (a) Anil Kumar v. B.S. Neelakanta, AIR 2010 SC 2715 ) / अनिल कुमार बनाम बी.एस. नीलकंठ, एआईआर 2010 एससी 2715
- (b) Viveta Gazra v. State, AIR 2010 SC 2712 / विवेता गजरा बनाम राज्य, एआईआर 2010 एससी 2712
- (c) Union of India v. A. Kumar, AIR 2010 SC 2735 / भारत संघ बनाम ए. कुमार, एआईआर 2010 एससी 2735
- (d) C. Magesh v. State of Karnataka, AIR 2010 SC 2768. / सी. मगेश बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर 2010 एससी 2768।

**Ans. [d]**

**Linked Provisions:-**

1. Section 154 – Information in cognizable cases.
2. Section 145 – Cross-examination as to previous statements in writing. (IEA)





3. **Section 157** – Former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact. (IEA)

**Explanation:-** FIR is not substantive evidence because it is not made during trial, it is not given on oath, nor is it tested by cross-examination. If the person making any such statement to the police subsequently appears and gives evidence in court at the time of trial, his former statement could, however, be used to corroborate or to contradict his testimony according to the provisions of the Evidence Act, 1872.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 154 – संज्ञेय मामलों में
2. धारा 145 – लिखित रूप में पिछले कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा (आईईए)
3. धारा 157 – साक्षी के पूर्व कथनों को उसी तथ्य के रूप में बाद की गवाही की पुष्टि करने के लिए साबित किया जा सकता है। (आईईए)

**स्पष्टीकरण:-** एफआईआर कोई ठोस सबूत नहीं है क्योंकि यह विचारण के दौरान नहीं बनाई जाती है, यह शपथ पर नहीं दी जाती है, न ही इसका प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण किया जाता है। यदि पुलिस को ऐसा कोई कथन देने वाला व्यक्ति बाद में विचारण के समय न्यायालय में पेश होता है और साक्ष्य देता है, तो उसके पूर्व कथन का इस्तेमाल साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुसार उसकी गवाही की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है।

35. **In summon-cases and inquiries, memorandum is the only: /समन-मामलों और अन्वेषण में, ज्ञापन ही एकमात्र है:**

- (a) Record of witness/ साक्षी का अभिलेख
- (b) Record of accused statement/ आरोपी के कथन का अभिलेख
- (c) Record of evidence /साक्ष्य का अभिलेख
- (d) Record of all statements./ सभी कथनों का अभिलेख।

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 2(g)** – Inquiry.
2. **Section 2(w)** – Summons-cases.
3. **Section 145-148** – Disputes as to immovable property.
4. **Section 446** – Procedure when bond has been forfeited.

**Explanation:-** As per **section 274**, in all summons-cases tried before a Magistrate, in all inquiries under sections 145 to 148 (both inclusive), and in all proceedings under section 446 otherwise than in the course of a trial, the Magistrate shall, as the examination of each witness proceeds, make a memorandum of the substance of the evidence in the language of the Court.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 2(छ) – जांच।
2. धारा 2(ब) – समन-मामले।
3. धारा 145-148 – स्थावर संपत्ति संबंधी विवाद।
4. धारा 446 – जब बंधपत्र जब्त कर लिया गया हो तो प्रक्रिया।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 274 के अनुसार, मजिस्ट्रेट के समक्ष विचार किए गए सभी समन-मामलों में, धारा 145 से 148 (दोनों सम्मिलित) के तहत सभी जांच में, और धारा 446 के तहत सभी कार्यवाहियों में, विचारण के दौरान

के अलावा अन्यथा, मजिस्ट्रेट, जैसे-जैसे प्रत्येक साक्षी की परीक्षा आगे बढ़ती है, न्यायालय की भाषा में साक्ष्य के सार का एक ज्ञापन बनायेगा।

36. **If the accused is not acquitted under Section 232 of Cr.P.C. then the court calls upon him to enter on: / यदि अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 232 के तहत अपराधमुक्त नहीं किया जाता है तब न्यायालय उसे प्रवेश करने के लिए कहती है:**

- (a) His defence /उसकी प्रतिरक्षा
- (b) His counsel /उनके आधिवक्ता
- (c) His version/ उसका संस्करण
- (d) His statement./ उनका कथन।

**Ans. [a]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 243** – Evidence for defence in cases instituted on police report.
2. **Section 247** – Evidence for defence in cases instituted otherwise than on police report.

**Explanation:-** **Section 233** states that in case the accused is not acquitted as per Section 232, he/she is called to present any evidence as his/her defence to counter the accusation as per this section. The judge shall file a written statement submitted by the accused on record as well.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 243 – पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य।
2. धारा 247 – पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य मामलों में प्रतिरक्षा के लिए साक्ष्य।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 233 में कहा गया है कि यदि आरोपी को धारा 232 के अनुसार दोषमुक्त नहीं किया जाता है, तो उसे इस धारा के अनुसार आरोप का मुकाबला करने के लिए अपने प्रतिरक्षा के रूप में कोई साक्ष्य पेश करने के लिए बुलाया जाता है। न्यायाधीश अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन को भी रिकॉर्ड पर दर्ज करेगा।

37. **In case of anticipatory breach of contract, an aggrieved party: / संविदा के अग्रिम भंग के मामले में, एक पीड़ित पक्ष:**

- (a) Has the right to claim performance at any time/ किसी भी समय पालन का दावा करने का अधिकार है
- (b) Cannot claim any remedy as performance is still executory /किसी भी उपाय का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि पालन अभी भी निष्पादक है
- (c) May wait till the date of performance /पालन की तारीख तक इंतजार कर सकते हैं
- (d) Does not have the right to terminate the contract. / संविदा समाप्त करने का अधिकार नहीं है।

**Ans. [a]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 2(h)** – Contract.
2. **Section 73-75** – Consequences of breach of contract.

**Explanation:-** As soon as the anticipatory breach has been committed, the injured party can rescind or repudiate the contract and can bring an action for damages for anticipatory breach of contract without waiting for the due date for the performance of the contract.







**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 2(ज) – संविदा।
2. धारा 73-75 – संविदाभंग के परिणाम।

**स्पष्टीकरण:-** जैसे ही अग्रिम उल्लंघन किया गया है, घायल पक्ष संविदा को रद्द या अस्वीकार कर सकता है और संविदा के पालन के लिए नियत तारीख की प्रतीक्षा किए बिना संविदा के अग्रिम उल्लंघन के लिए नुकसानी के लिए कार्रवाई कर सकता है।

38. Which of the following statements is not correct? / निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है

- (a) Acceptance must be communicated /प्रतिग्रहण संसूचित की जानी चाहिए
- (b) Acceptance must be in writing /प्रतिग्रहण लिखित रूप में होनी चाहिए
- (c) Oral acceptance is a valid acceptance /मौखिक प्रतिग्रहण एक वैध प्रतिग्रहण है
- (d) Acceptance must be in the prescribed manner./ प्रतिग्रहण निर्धारित तरीके से होनी चाहिए

Ans. [b]

**Linked Provisions:-**

1. Section 3 – Communication of acceptance.
2. Section 5 – Revocation of acceptance.
3. Section 7 – Acceptance must be absolute.
4. Feltthouse v Bindley [1862] – Silence does not constitute acceptance.

**Explanation:-** Acceptance must be given only by the person to whom the offer is made. Acceptance may be expressed in words, spoken or written or may be given by conduct. Section 8, provides that acceptance by conduct or actions of the promisee is acceptable.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 3 – प्रतिग्रहण की संसूचना।
2. धारा 5 – प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण।
3. धारा 7 – प्रतिग्रहण पूर्ण होनी चाहिए।
4. फ़ेल्थहाउस बनाम बिंदले [1862] – मौन प्रतिग्रहण नहीं है।

**स्पष्टीकरण:-** प्रतिग्रहण केवल उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसे प्रस्ताव दिया गया है। प्रतिग्रहण शब्दों में व्यक्त की जा सकती है, मौखिक या लिखित या आचरण द्वारा दी जा सकती है। धारा 8 में प्रावधान है कि वचन देने वाले के आचरण या कार्यो द्वारा प्रतिग्रहण स्वीकार्य है।

39. The principle "Restitution stops where repayment begins" can be applied against: /सिद्धांत "प्रत्यास्थापन वहीं रुक जाता है जहां पुनर्भुगतान शुरू होता है" को इसके विरुद्ध लागू किया जा सकता है:

- (a) An alien enemy only/ केवल एक विदेशी शत्रु
- (b) Any incapable person /कोई भी असमर्थ व्यक्ति
- (c) Lunatics and idiots only/ केवल पागल और जड़
- (d) Minors only./ केवल अव्यस्क।

Ans. [d]

**Linked Provisions:-**

1. Section 65 – Obligation of person who has received advantage under void agreement. (ICA)
2. Section 144 – Application for restitution. (CPC)
3. Mohori Bibee vs. Dharmodas Ghose – contract entered into by a minor is totally void.

**Explanation:-** Restitution means that an undue advantage taken by a minor traceable and available

upon him, minor may be ordered to return or refund by the courts on equitable grounds. Restitution stops when repayment begins and equity does not enforce against minor any contractual obligation.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 65 – शून्य करार के तहत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दायित्व। (आईसीए)
2. धारा 144 – प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। (सीपीसी)
3. मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष – एक अव्यस्क द्वारा की गई संविदा पूरी तरह से शून्य है।

**स्पष्टीकरण:-** प्रत्यास्थापन का अर्थ है कि अव्यस्क द्वारा उठाया गया अनुचित लाभ और उस पर उपलब्ध, अव्यस्क को न्यायसंगत आधार पर न्यायालय द्वारा वापस करने या वापस करने का आदेश दिया जा सकता है। पुनर्भुगतान शुरू होने पर प्रत्यास्थापन बंद हो जाता है और साम्या अव्यस्क के विरुद्ध किसी भी संविदात्मक दायित्व को लागू नहीं करती है।

40. Promissory estoppels is sometimes spoken of as a substitute for: /वचनात्मक विबंध को कभी-कभी इसके विकल्प के रूप में कहा जाता है:

- (a) Quasi contract /अर्ध संविदा
- (b) Consideration/ प्रतिफल
- (c) Coercion /प्रपीडन
- (d) Novation. / नवीयन।

Ans. [b]

**Linked Provisions:-**

1. Section 115-117 – Estoppels (IEA).
2. Section 43 – Feeding grant by estoppel (TPA).
3. Combe vs. Combe [1951] – Promissory estoppel.
4. Section 2(d) – Consideration.
5. Section 23 – What consideration and objects are lawful, and what not.

**Explanation:-** The doctrine of promissory estoppel is an alternative to the doctrine of consideration. It refers to a contract that cannot be withdrawn because one party acted on the other parties' promise. The doctrine of promissory estoppel is also known as the doctrine of beneficial reliance.

Promissory Estoppel means when a promisor makes a clear and definite promise on which the promisee justifiably relies, the promisor is bound by the promise, even if it was insufficient to form the basis of a valid, legally binding contract.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 115-117 – विबंध (आईईए)।
2. धारा 43 – विबंध द्वारा अनुदान प्रदान करना। (टीपीए)
3. कॉम्बे बनाम कॉम्बे [1951] – वचनात्मक विबंध।
4. धारा 2(घ) – प्रतिफल।
5. धारा 23 – कौन सा प्रतिफल और उद्देश्य वैध हैं, और क्या नहीं।

**स्पष्टीकरण:-** वचनात्मक विबंध का सिद्धांत प्रतिफल के सिद्धांत का एक विकल्प है। यह एक ऐसे संविदा को संदर्भित करता है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के वचन पर काम किया है। वचनात्मक विबंध के सिद्धांत को लाभकारी निर्भरता के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है।

वचनात्मक विबंध का अर्थ है जब एक वचनदाता एक स्पष्ट और निश्चित वचन देता है जिस पर वचनगृहीता उचित रूप से भरोसा करता है, तो वचनदाता वचन से बंधा होता है, भले ही यह एक वैध, विधिक रूप से बाध्यकारी संविदा का आधार बनाने के लिए अपर्याप्त हो।





41. A change of nature of obligation of a contract is known as/ किसी संविदा के दायित्व की प्रकृति में परिवर्तन को कहा जाता है:

- (a) Alteration /परिवर्तन
- (b) Repudiation/ प्रत्याख्यान
- (c) Rescission /विखण्डन
- (d) Novation /नवीयन।

Ans. [d]

**Linked Provisions:-**

- 1. **Section 18** - Non-enforcement except with variation (SRA).
- 2. **Order 6, Rule 17** - Amendment in pleadings (CPC).
- 3. **Section 216** - Court may alter charge (CrPC).

**Explanation:-** Novation is covered under **Section 62**, It is a convenient and simplified process that allows contracting parties to modify the terms of the original agreement and replace the old contract with a new one.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

- 1. **धारा 18** - भिन्नता को छोड़कर अप्रवर्तनीय (एसआरए)।
- 2. **आदेश 6, नियम 17** - अभिवचनों में संशोधन (सीपीसी)।
- 3. **धारा 216** - न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। (सीआरपीसी)

**स्पष्टीकरण:-** नवीयन की धारा 62 के अंतर्गत आता है। यह एक सुविधाजनक और सरलीकृत प्रक्रिया है जो संविदा करने वाले पक्षों को मूल करार की शर्तों को संशोधित करने और पुराने संविदा को एक नए के साथ बदलने की अनुमति देती है।

42. A notice in the newspapers inviting tenders is: / निविदाएं आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में एक सूचना है:

- (a) An invitation for negotiation/ बातचीत के लिए निमंत्रण
- (b) A promise/ एक वचन
- (c) An invitation to proposal / प्रस्थापना के लिए निमंत्रण
- (d) A proposal./ एक प्रस्थापना।

Ans. [a]

**Linked Provisions:-**

- 1. **Carlill v. Carbolic Smoke Ball Company** [1892]
- 2. **Lalman Shukla v. Gauri Dat**, (1913).

**Explanation:-** Tender notices are released to invite vendors for procuring certain types of goods and services. These ads largely comprise of business proposals, bids and even company takeovers by government bodies. The notices are a form of public invitation.

According to Section 2(a), when a party, without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate he does not make an offer but merely invites to make an offer on those terms. Thus, a tender is an invitation for proposal.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

- 1. कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी [1892]
- 2. लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, (1913)।

**स्पष्टीकरण:-** कुछ प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए विक्रेताओं को आमंत्रित करने के लिए निविदा सूचना जारी किए जाते हैं। इन विज्ञापनों में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक प्रस्थापना, बोलियाँ और यहां

तक कि सरकारी निकायों द्वारा कंपनी का अधिग्रहण भी शामिल है। सूचना लोक निमंत्रण का एक रूप है।

धारा 2(क) के अनुसार, जब कोई पक्ष अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त किए बिना कुछ शर्तों का प्रस्ताव करता है, जिन पर वह बातचीत करने को तैयार है, तो वह कोई प्रस्ताव नहीं देता है बल्कि केवल उन शर्तों पर प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित करता है। इस प्रकार, एक निविदा प्रस्थापना के लिए एक निमंत्रण है।

43. Examine the following statements: / निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें:

- (1) Every contract is an agreement/ प्रत्येक संविदा एक करार है
- (2) Every agreement is a contract/ प्रत्येक करार एक संविदा है
- (3) Every lawful civil obligation is a contract/ प्रत्येक वैध सिविल दायित्व एक संविदा है
- (4) Every contract has a legally enforceable civil obligation/ प्रत्येक संविदा में विधिक रूप से प्रवर्तनीय सिविल दायित्व होता है

Which of these statements are correct? / इनमें से कौन सा कथन सही है?

- (a) (1) and (4) / (1) और (4)
- (b) (1) and (2) / (1) और (2)
- (c) (2) and (3) / (2) और (3)
- (d) (3) and (4) / (3) और (4)

Ans. [a]

**Linked Provisions:-**

- 1. **Section 2(e)** - Agreement.
- 2. **Section 2(g)** - Void agreement.
- 3. **Section 10** - What agreements are contract.
- 4. **Section 11** - Who are competent to contract.

**Explanation:-** According to **section 2 (h)** "an agreement enforceable by law is a contract". All contracts are agreements but all agreements are not contracts

The parties entering into a Contract must have the intention of entering into a legal obligation. Social agreements and obligations are not considered a Contract as they do not create any legal obligations on any party. The law of contracts confines itself to the enforcement of voluntarily created civil obligations.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

- 1. **धारा 2(इ)** - करार।
- 2. **धारा 2(छ)** - शून्य करार।
- 3. **धारा 10** - कौन से करार संविदा हैं?
- 4. **धारा 11** - कौन संविदा करने में सक्षम है।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 2 (ज) के अनुसार, "विधि द्वारा प्रवर्तनीय एक करार एक संविदा है"। सभी संविदा करार हैं लेकिन सभी करार संविदा नहीं हैं संविदा में प्रवेश करने वाले पक्षों का विधिक दायित्व में प्रवेश करने का आशय होना चाहिए। सामाजिक समझौतों और दायित्वों को संविदा नहीं माना जाता है क्योंकि वे किसी भी पक्ष पर कोई विधिक दायित्व नहीं बनाते हैं। संविदा विधि स्वेच्छा से निर्मित सिविल दायित्वों के कार्यान्वयन तक ही सीमित है।

44. Union of India v. Maddala Thathaiah is an illustration, where the tender was in the form of:/



Scan this  
QR Code to  
Linking Laws BIOs



**भारत संघ बनाम मद्दला थाथैया एक उदाहरण है, जहां निविदा इस प्रकार थी:**

- Public offer/ लोक प्रस्ताव
- Standing offer /स्थायी प्रस्ताव
- Specific offer /विशिष्ट प्रस्ताव
- General offer/ सामान्य प्रस्ताव

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

- Section 2(a)** – Proposal.
- Balfore vs. Balfore** (1919) – Proposal must be certain and capable to make legal relation.
- Carlill v Carbolic Smoke Ball Company** [1892]

**Explanation:-** Union of India vs Maddala Thathiah case provides the concept of standing offer, also called continuing offer. Standing offer refers to when an offer is allowed to remain open for acceptance over a period of time, Such as tenders. Advertisement inviting tender is an invitation to offer, and it is not an offer.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

- धारा 2(क)** – प्रस्थापना ।
- बाल्फोर बनाम बाल्फोर** (1919) – प्रस्थापना निश्चित और विधिक संबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए।
- कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी** [1892]

**स्पष्टीकरण:-** भारत संघ बनाम मद्दला थाथैया मामला स्थायी प्रस्ताव की अवधारणा प्रदान करता है, जिसे सतत प्रस्ताव भी कहा जाता है। स्थायी प्रस्ताव से तात्पर्य तब होता है जब किसी प्रस्ताव को कुछ समय तक स्वीकृति के लिए खुला रहने दिया जाता है, जैसे कि निविदाएँ। निविदा आमंत्रित करने वाला विज्ञापन एक प्रस्ताव आमंत्रण है, और यह कोई प्रस्ताव नहीं है।

**45. The rule laid down in Adam v. Lindsell was approved by the House of Lords in: / एडम बनाम लिंडसेल में निर्धारित नियम को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा अनुमोदित किया गया था:**

- Dunlop v. Higgins /डनलप बनाम हिगिंस
- Eliason v. Henshaw /एलियासन बनाम हेनशॉ
- Powell v. Lee/ पॉवेल बनाम ली
- Hyde v. Wrench. /हाइड बनाम रेंच।

**Ans. [A]**

**Linked Provisions:-**

- Section 3** – Communication of acceptance.
- Section 5** – Revocation of acceptance.
- Section 7** – Acceptance must be absolute.
- Section 8** – Acceptance by performing conditions, or receiving consideration.
- Balia Ram vs. Union of India** (1963).

**Explanation:- Adams v Lindsell (1818)** 1 B & Ald 681, is an English contract case regarded as the first case towards the establishment of the “postal rule” for acceptance of an offer. The rule is that a contract entered through postal correspondence is concluded when the offeree posts his letter of acceptance, rather than when the offeror receives the letter.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

- धारा 3** – प्रतिग्रहण की संसूचना ।
- धारा 5** – प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण।
- धारा 7** – प्रतिग्रहण पूर्ण होनी चाहिए।

**4. धारा 8** – शर्तों का पालन, या प्रतिफल प्राप्त करके प्रतिग्रहण।

**5. बलिया राम बनाम भारत संघ** (1963)।

**स्पष्टीकरण:- एडम्स बनाम लिंडसेल (1818)** 1 बी एंड एल्ड 681, एक अंग्रेजी संविदा मामला है जिसे किसी प्रस्ताव के प्रतिग्रहण के लिए “डाक नियम” की स्थापना की दिशा में पहला मामला माना जाता है। नियम यह है कि डाक पत्राचार के माध्यम से दर्ज की गई संविदा तब संपन्न होती है जब प्रस्तावक अपना प्रतिग्रहण पत्र पोस्ट करता है, न कि तब जब प्रस्तावक पत्र प्राप्त करता है।

**46. Which one of the following agreements is held to be opposed to public policy? / निम्नलिखित में से कौन सा करार लोक नीति के विपरीत माना जाता है?**

- The arbitration clause for the application of foreign law / विदेशी विधि के आवेदन के लिए मध्यस्थता खंड
- Payment in foreign currency /विदेशी मुद्रा में भुगतान
- Agreement for payment of less salary /कम वेतन के भुगतान के लिए करार
- Arbitrators residing in the foreign country. /विदेश में रहने वाले मध्यस्थ।

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-**

- ‘Ex turpi causa non oritur actio’** - an agreement which opposes public policy would be void and no effect.
- Section 2(e)** – Agreement.
- Section 141-160** – Offences against public tranquility (IPC).

**Explanation:-** An agreement is unlawful if the court regards it as opposed to public policy. The agreements which are termed to be void or against the public policies are categorised as under:

- Trading with enemy
- Trafficking in public offices
- Interference with administration of justice
- Marriage brokerage contracts
- Unfair or unreasonable dealings.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

- एक्स टर्पी कॉसा नॉन ओरिटुर एक्टियो** – एक करार जो लोक नीति का विरोध करता है वह शून्य होगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- धारा 2(इ)** – करार।
- धारा 141-160** – लोक शांति के विरुद्ध अपराध (आईपीसी)।

**स्पष्टीकरण:-** कोई करार विधिविरुद्ध है यदि न्यायालय इसे लोक नीति के विपरीत मानता है। जिन करार को शून्य या लोक नीतियों के विरुद्ध माना जाता है, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- शत्रु के साथ व्यापार करना
- लोक कार्यालयों में तस्करी
- न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप
- विवाह दलाली संविदा
- अनुचित या अकारण सौदे।

**47. The facts of Griffith v. Brymer would attract Section 20 and facts of Krell v. Henry attract: / ग्रिफ़िथ बनाम ब्रायमर के तथ्य धारा 20 को आकर्षित करेंगे और क्रेल बनाम हेनरी के तथ्य आकर्षित करेंगे:**

- Section 20 of the Indian Contract Act, 1872 / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 20







- (b) Section 10 of the Indian Contract Act, 1872 / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 10  
(c) Section 12 of the Indian Contract Act, 1872 / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 12  
(d) Section 56 of the Indian Contract Act, 1872. / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 56।

Ans. [d]

**Linked Provisions:-**

1. Satyabrata Ghose vs. Mugneeram Bangur and Company & Anr.
2. "Lex non cogit ad impossibilia" – the law does not compel a man to do anything vain or impossible.
3. Force majeure emanates – Superior force or Act of God.

**Explanation:-** Krell v Henry (Coronation case) highlights that the Doctrine of frustration is not restricted to physical impossibilities. It also extends to cases where the performance of the contract is achievable tangibly, but the purpose for which the parties had constructed the agreement has failed to materialise. This doctrine constitutes the , as Section 56( Agreement to do impossible act).

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. सत्यब्रत घोष बनाम मुग्नीराम बांगुर एंड कंपनी एवं अन्य।
2. "लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया" – विधि किसी व्यक्ति को कुछ भी व्यर्थ या असंभव कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करता है।
3. फोर्स मेजयोर इमानेडस – श्रेष्ठ शक्ति या ईश्वर का कार्य।

**स्पष्टीकरण:-** क्रेल बनाम हेनरी (राज्याभिषेक मामला) इस बात पर प्रकाश डालता है कि नैराश्य का सिद्धांत शारीरिक असंभवताओं तक सीमित नहीं है। यह उन मामलों पर भी लागू होता है जहां संविदा का निष्पादन मूर्त रूप से प्राप्त करने योग्य है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए पक्षों ने करार का निर्माण किया था वह पूरा होने में विफल रहा है। यह सिद्धांत , धारा 56 (असंभव कार्य करने का करार) के रूप में गठित होता है।

**48. The obligation to restore advantage in a void agreement is provided by:/ एक शून्य करार में लाभ बहाल करने का दायित्व निम्न द्वारा प्रदान किया जाता है:**

- (a) Section 65 of the Indian Contract Act, 1872 / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 65  
(b) Section 60 of the Indian Contract Act, 1872 / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 60  
(c) Section 63 of the Indian Contract Act, 1872 / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 63  
(d) Section 68 of the Indian Contract Act, 1872. / भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 68।

Ans. [a]

**Linked Provisions:-**

1. **Section 2(g)** – Void agreements.
2. **Section 30** – Court may require parties rescinding to do equity. (SRA)
3. **Section 144** – Application for restitution. (CPC)
4. **Void agreement-** (24-30)

**Explanation:-** Section 65 provides that, when an agreement is discovered to be void, or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound

to restore it, or to make compensation for it to the person from whom he received it.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. **धारा 2(छ)** – शून्य करार।
2. **धारा 30** – न्यायालय को साम्या को रद्द करने वाले पक्षों की आवश्यकता हो सकती है। (एसआरए)
3. **धारा 144** – प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। (सीपीसी)
4. **शून्य करार- धारा(24-30)**

**स्पष्टीकरण:-** धारा 65 में प्रावधान है कि, जब कोई करार शून्य पाया जाता है, या जब कोई संविदा शून्य हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे करार या संविदा के तहत कोई लाभ प्राप्त किया है, उसे बहाल करने, या इसके लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य है। वह व्यक्ति जिससे उसने इसे प्राप्त किया।

**49. A continuing guarantee under Section 130 is: /धारा 130 के तहत एक सतत प्रत्याभूति है:**

- (a) Irrevocable absolutely /पूर्णतया अप्रतिसंहरणीय  
(b) Revocable as regards future transaction /भविष्य के संव्यवहार के संबंध में प्रतिसंहरणीय  
(c) Revocable absolutely /पूर्णतया प्रतिसंहरणीय  
(d) Either (a) or (b). /या तो (ए) या (बी)।

Ans. [b]

**Linked Provisions:-**

1. **Section 126** – Contract of guarantee.
2. **Section 129** – Continuing guarantee.
3. **Section 131** – Revocation of continuing guarantee by surety's death.

**Explanation:-** As per section 130, a continuing guarantee may at any time be revoked by the surety, as to future transactions, by notice to the creditor.

**Exception:-** A continuing guarantee given to a court cannot be revoked by the surety as to future transactions, without the permission of the court.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. **धारा 126** – प्रत्याभूति का संविदा।
2. **धारा 129** – सतत प्रत्याभूति।
3. **धारा 131** – प्रतिभू की मृत्यु के कारण सतत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 130 के अनुसार, किसी भी समय सतत प्रत्याभूति को भविष्य के संव्यवहार के संबंध में, लेनदार को सूचना देकर प्रतिभू द्वारा प्रतिसंहरण किया जा सकता है।

**अपवाद:-** न्यायालय को दी गई सतत प्रत्याभूति को न्यायालय की अनुमति के बिना भविष्य के संव्यवहार के लिए प्रतिभू द्वारा प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता है।

**50. For the purpose of pledge, delivery of possession of goods: / गिरवी रखने के उद्देश्य से, माल के कब्जे का परिदान:**

- (a) May be symbolic/ प्रतीकात्मक हो सकता है  
(b) Either actual or constructive / या तो वास्तविक या रचनात्मक  
(c) May be constructive/ रचनात्मक हो सकता है  
(d) Has to be actual./ वास्तविक होना चाहिए।

Ans. [d]

**Linked Provisions:-**

1. **Section 148** – Bailment.
2. **Section 149** – Delivery to bailee how made.
3. **Section 172** – Pledge.







**Explanation:-** Every pledge is a bailment but every bailment is not pledge. Pledge is a variety or specie of bailment. It is necessary that the possession of goods be delivered from the pawnor to the pawnee. As mentioned in the definition, pledge is a bailment and this is an essential element of bailment. The delivery can be either actual or constructive.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 148 – उपनिधान ।
2. धारा 149 – उपनिहिती को परिदान कैसे किया गया।
3. धारा 172 – गिरवी रखना ।

**स्पष्टीकरण:-** प्रत्येक गिरवी एक उपनिधान है परन्तु प्रत्येक उपनिधान गिरवी नहीं है। गिरवी उपनिधान की एक किस्म या प्रजाति है। यह आवश्यक है कि माल का कब्जा पणयमकार से पणयमदार तक पहुंचाया जाए। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, गिरवी एक उपनिधान है और यह उपनिधान का एक अनिवार्य तत्व है। परिदान वास्तविक या रचनात्मक हो सकता है।

51. A valid lease can be determined by: / एक वैध पट्टा निम्न द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

- (a) Force majeure / अप्रत्याशित घटना
- (b) Frustration / विफलकरण
- (c) Efflux of time / समय का प्रवाह
- (d) None of the above. / उपरोक्त में से कोई नहीं।

Ans. [c]

**Linked Provisions:-**

1. Section 105 – Lease (TPA).
2. Section 111 – Determination of the lease (TPA).
3. Section 107- Lease how made.
4. Section 108- Rights and liabilities of lessor and lessee.
5. Section (105-117)- lease

**Explanation:-** Determination of lease means the termination or the end of the lease. It means that the legal relation between the lessor and the lessee comes to the end -

- 1) By lapse of time
- 2) By happening of specified event
- 3) Termination of lessor's interest
- 4) By Merger
- 5) By express surrender
- 6) By Implied Interest
- 7) By Forfeiture.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 105 – पट्टा (टीपीए)।
2. धारा 111 – पट्टे की समाप्ति (टीपीए)।
3. धारा 107- पट्टा कैसे बनाया गया।
4. धारा 108- पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व।
5. धारा (105-117)- पट्टा।

**स्पष्टीकरण:-** पट्टे की समाप्ति का तात्पर्य पट्टे की समाप्ति या समाप्ति से है। इसका मतलब है कि पट्टादाता और पट्टेदार के बीच विधिक संबंध समाप्त हो जाता है -

- 1) समय बीतने से
- 2) निर्दिष्ट घटना के घटित होने से
- 3) पट्टादाता के हित की समाप्ति
- 4) विलय द्वारा
- 5) व्यक्त अभ्यर्पण द्वारा
- 6) निहित हित द्वारा

7) समपहरण द्वारा।

52. There can also be ..... by estoppels. / विबंध द्वारा ..... भी हो सकता है।

- (a) Sale II / विक्रय
- (b) Ownership / स्वामित्व
- (c) Fraud / कपट
- (d) Possession./ कब्जा

Ans. [a]

**Linked Provisions:-**

1. 'Nemo dat quod non habet' - No one can give what he doesn't have.
2. Section 27 - Sale by a person who is not the owner. (SOGA)
3. Section 115-117 – Estoppels (IEA).
4. Section 235 – Liability of pretended agent. (ICA)
5. Section 43- Promissory estoppel TPA)
6. Section 120,121,122 negotiable Act,1881.

**Explanation:-** Estoppel refers to a person who has obtained the possession of goods in a fraudulent manner and is selling those goods in presence of the real owner of the goods. Later, the actual owner of goods cannot claim the right. The buyer, in cases of estoppel, gets a better title than the seller.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. 'निमो दैट क्वॉड नॉन हैबेट' – कोई भी वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है।
2. धारा 27 – ऐसे व्यक्ति द्वारा विक्रय जो मालिक नहीं है। (एसओजीए)
4. धारा 235 – फर्जी अभिकर्ता का दायित्व। (आईसीए)
3. धारा 115-117 – विबंध (आईईए)।
5. धारा 43- प्रॉमिसरी एस्टोपेल टीपीए)
6. धारा 120,121,122 परक्राम्य अधिनियम 1881।

**स्पष्टीकरण:-** विबंध से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने कपटपूर्ण तरीके से माल का कब्जा प्राप्त कर लिया है और उस माल को माल के वास्तविक मालिक की उपस्थिति में बेच रहा है। बाद में सामान का वास्तविक मालिक उस पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता। विबंध के मामलों में, क्रेता को विक्रेता की तुलना में बेहतर शीर्षक मिलता है।

53. Causing of the death of child in the mother's womb is not homicide as provided / जैसा कि प्रावधानित है, माँ के गर्भ में बच्चे की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है

- (a) Explanation V to Section 300 / धारा 300 का स्पष्टीकरण V
- (b) Explanation I to Section 299 / धारा 299 का स्पष्टीकरण I
- (c) Explanation II to Section 299 / धारा 299 का स्पष्टीकरण II
- (d) Explanation III to Section 299. / स्पष्टीकरण III से धारा 299 तक।

Ans. [d]

**Linked Provisions:-**

1. Sec 300- Murder .
2. Section 304- Punishment for culpable homicide not amounting to murder.
3. Section 308- Attempt to culpable homicide.
4. Section 316- causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide.





**Explanation:- Section 99- Culpable homicide—**Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offence of culpable homicide.

**Explanation 3.—**The causing of the death of a child in the mother's womb is not homicide. But it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child, if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 300- हत्या।
2. धारा 304- गैर इरादतन हत्या के लिए सजा।
3. धारा 308- गैर इरादतन हत्या का प्रयास।
4. धारा 316- गैर इरादतन हत्या के कृत्य से अजन्मे बच्चे की मृत्यु कारित करना।

**स्पष्टीकरण धारा 299 -** गैर इरादतन मानव वध - जो कोई मृत्यु कारित करने के इरादे से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के इरादे से, जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो, या यह जानते हुए कि ऐसे कार्य से उसे मृत्यु होने की संभावना है, मृत्यु कारित करता है। मृत्यु का कारण बनता है, गैर इरादतन हत्या का अपराध करता है।

**स्पष्टीकरण 3.—**मां के गर्भ में बच्चे की मृत्यु का कारण हत्या नहीं है। लेकिन जीवित बच्चे की मृत्यु का कारण बनना गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आ सकता है, यदि उस बच्चे का कोई अंग बाहर लाया गया हो, भले ही बच्चे ने सांस न ली हो या पूरी तरह से पैदा न हुआ हो।

- (b) Mere words/ मात्र शब्द
- (c) Mere preparation / मात्र तैयारी
- (d) All the above. / उपरोक्त सभी।

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section (349-358)** - Assault and criminal force.
2. **Section 352-** Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation.
3. **Section 354-** Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty.
4. **Section 357-** Assault or criminal force wrongfully to confine a person.
5. **Section 358-** Assault or criminal force on grave provocation.

**Explanation :- Section 351- Assault—**Whoever makes any gesture, or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person, is said to commit an assault. **Explanation—**Mere words do not amount to an assault. But the words which a person uses may give to his gestures or preparation such a meaning as may make those gestures or preparations amount to an assault.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 351-हमला
2. धारा 352- गंभीर उकसावे के अलावा अन्यथा हमला या आपराधिक बल के लिए सजा।
3. धारा 354- महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग।
4. धारा 357- किसी व्यक्ति को बंधक बनाने के लिए गलत तरीके से हमला या आपराधिक बल लगाना।
5. धारा 358- गंभीर उकसावे पर हमला या आपराधिक बल।

**स्पष्टीकरण:- धारा 351- हमला -** जो कोई कोई इशारा करता है, या कोई तैयारी करता है, यह इरादा रखता है या यह जानता है कि इस तरह के इशारे या तैयारी से उपस्थित किसी भी व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वह इशारा या तैयारी करने वाला उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, हमला करने की बात कही जा रही है।

**स्पष्टीकरण-** मात्र शब्द हमले की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन जिन शब्दों का उपयोग कोई व्यक्ति करता है, वे उसके इशारों या तैयारी को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे इशारे या तैयारी हमले के समान हो सकते हैं।

54. **Section 511 does not apply in case of: / धारा 511 निम्नलिखित के मामले में लागू नहीं होती है:**

- (a) Attempt of riot / बलवा का प्रयास
- (b) Attempt of theft / चोरी का प्रयास
- (c) Attempt of affray / दंगे का प्रयास
- (d) Attempt of murder. / हत्या का प्रयास।

**Ans. [d]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 146- Rioting.** (Section 147- Punishment for rioting.)
2. **Section 378 -Theft ( 379,380,381,382,390,439)**
3. **Section 159- Affray.**(Sec160- Punishment for committing affray.)
4. **Section 300-Murder.**(302,303,304,307,364,396)

**Explanation:- Sec 511-** Punishment for attempting to commit offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 146- दंगा करना। (धारा 147- दंगा करने के लिए सजा।)
2. धारा 378 -चोरी (379,380,381,382,390,439)
3. धारा 159- दंगे (धारा 160- दंगे करने के लिए सजा।)
4. धारा 300-हत्या。(302,303,304,307,364,396)

**स्पष्टीकरण:- धारा 511-** आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करने के लिए सजा।

55. **Assault cannot be caused by: / हमला निम्न कारणों से नहीं किया जा सकता:**

- (a) Mere gestures / मात्र अंगविक्षेप

56. **Personating a public servant is an offence: / लोक सेवक का अपमान करना अपराध है:**

- (a) Under Section 186 of IPC / आईपीसी की धारा 186 के तहत
- (b) Under Section 171 of IPC / आईपीसी की धारा 171 के तहत
- (c) Under Section 170 of IPC / आईपीसी की धारा 170 के तहत
- (d) Under Section 169 of IPC. / आईपीसी की धारा 169 के तहत।

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-**

1. **Sec 168-** Public servant unlawfully engaging in trade.





2. **Sec 169-** Public servant unlawfully buying or bidding for property.
3. **Sec 171-** Wearing garb or carrying token used by public servant with fraudulent intent.

**Explanation:-Sec 170** -Personating a public servant.—Whoever pretends to hold any particular office as a public servant, knowing that he does not hold such office or falsely personates any other person holding such office, and in such assumed character does or attempts to do any act under colour of such office, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

**लिंकिंग प्रावधान :-**

1. **धारा 168-** लोक सेवक जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है।
2. **धारा 169-** लोक सेवक विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति खरीदना या बोली लगाता है।
3. **धारा 171-** कपटपूर्ण के आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना।

**स्पष्टीकरण:-धारा 170 - एक लोक सेवक का प्रतिरूपण** - जो कोई लोक सेवक के रूप में किसी विशेष पद को धारण करने का दिखावा करता है, यह जानते हुए कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है या ऐसे पद को धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का झूठा चित्रण करता है, और ऐसे कल्पित चरित्र में कोई भी कार्य करता है या करने का प्रयास करता है ऐसे पद के तहत कार्य करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

57. **The Supreme Court of India has observed a clear distinction between dishonestly and fraudulently in the case of: / भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित के मामले में बेईमानी और कपटपूर्वक के बीच स्पष्ट अंतर देखा है:**

- (a) Nathu Lal v. State of M.P. / नाथू लाल बनाम एमपी राज्य।
- (b) Central Bank of India v. Narain / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम नारायण
- (c) Mubarik Ali v. State of Bombay / मुबारिक अली बनाम बॉम्बे राज्य
- (d) Vimla Devi v. Delhi Administration./ विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन।

**Ans. [d]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 120 B-** Punishment of Criminal conspiracy.
2. **Section 25-** Fraudulently
3. **Section 463-** Forgery.
4. **Section 464-** A person is said to make a false document.
5. **Section 467-** Forgery of valuable security, will etc.

**Explanation:-** Vimla was guilty of deceit, for though her name was Vimla, she signed in all the relevant papers as Nalini and made the insurance company believe that her name was Nalini, but the said, deceit did not either secure to her advantage or cause any non-economic loss or injury to the insurance company. (Sec 24, Sec 25, Sec 464, Sec 464, of IPC)

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. **धारा 120 बी** - आपराधिक षडयंत्र की सजा।

2. **धारा 25-** कपटपूर्वक
3. **धारा 463-** कूट-रचना
4. **धारा 464-** किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने झूठा दस्तावेज बनाया है।
5. **धारा 467-** मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की कूट-रचना।

**स्पष्टीकरण:-** विमला धोखे की दोषी थी, हालाँकि उसका नाम विमला था, उसने सभी प्रासंगिक कागजात पर नलिनी के रूप में हस्ताक्षर किए और बीमा कंपनी को विश्वास दिलाया कि उसका नाम नलिनी है, लेकिन उक्त धोखे से न तो उसका कोई फायदा हुआ और न ही कोई नुकसान हुआ। (IPC की धारा 24, धारा 25, धारा 464, धारा 464.)

58. **The minimum duration of imprisonment provided for an offence under the Indian Penal Code is imprisonment for: / भारतीय दंड संहिता के तहत किसी अपराध के लिए कारावास की न्यूनतम कारावास अवधि है:**

- (a) Twenty-four hours under Section 511 / धारा 511 के तहत चौबीस घंटे
- (b) Twenty-four hours under Section 510 / धारा 510 के तहत चौबीस घंटे
- (c) Sentence of 20 hours under Section 510 / धारा 510 के तहत 20 घंटे की सजा
- (d) Sentence of imprisonment till rising of the court under Section 511. / धारा 511 के तहत न्यायालय उठने तक कारावास की सजा।

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 85-** Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will.
2. **Section 86-** Offence requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated.

**Explanation:- section 510- Misconduct public by a drunken person**—Whoever, in a state of intoxication, appears in any public place, or in any place which it is a trespass in him to enter, and there conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to twenty-four hours, or with fine which may extend to ten rupees, or with both.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. **धारा 85-** नशे के कारण अपनी इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति का कार्य।
2. **धारा 86-** नशे में धुत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जिसके लिए किसी विशेष इरादे या ज्ञान की आवश्यकता होती है।

**स्पष्टीकरण:- धारा 510- मत्त व्यक्ति द्वारा लोकअस्थान में अवचार** - जो कोई नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर, या किसी ऐसे स्थान पर दिखाई देता है जहां प्रवेश करना उसके लिए अतिक्रमण है, और वहां खुद को इस तरह से व्यवहार करता है जिससे झुंझलाहट पैदा हो किसी भी व्यक्ति को साधारण कारावास से, जिसकी अवधि चौबीस घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, जो दस रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

59. **The principle underlying in Section 95 of IPC is: / आईपीसी की धारा 95 में अंतर्निहित सिद्धांत है:**

- (a) De minimis non curat lex / डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स







- (b) Volenti non fit injuria / वोलेन्टी नॉन फिट इंजुरिया  
(C) Non compos mentis/ नॉन कंपोज़ मेंटिस  
(d) Actus me invito factus non est mens actus. / एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मेन्स एक्टस।

Ans. [a]

#### Linked Provisions:-

1. Volenti non fit injuria is Latin for "to a willing person, it is not a wrong." This legal maxim holds that a person who knowingly and voluntarily risks danger cannot recover for any resulting injury.
2. Non compos mentis- Not of Sound Mind.
3. **Section 75-106** – General Exception Chapter- 6.

**Explanation:-** (The meaning of the Latin maxim de minimis non curat lex is that law is not concerned with small things. It is a legal doctrine by which a court refuses to consider trifling things) **Sec 95- Act causing slight harm**—Nothing is an offence by reason that it causes, or that it is intended to cause, or that it is known to be likely to cause, any harm, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm.

#### लिंकिंग प्रावधान:-

1. वोलेन्टी नॉन फिट इंजुरिया लैटिन है जिसका अर्थ है "इच्छुक व्यक्ति के लिए, यह गलत नहीं है।" यह कानूनी कहावत यह मानती है कि जो व्यक्ति जानबूझकर और स्वेच्छा से खतरे का जोखिम उठाता है, वह किसी भी परिणामी चोट से उबर नहीं सकता है।
2. नॉन कंपोज़ मेंटिस - साउंड माइंड का नहीं।
3. **धारा 75-106** – सामान्य अपवाद अध्याय- 6.

**स्पष्टीकरण:-** (लैटिन मैक्सिम डे मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स का अर्थ यह है कि कानून का छोटी-छोटी बातों से कोई सरोकार नहीं है। यह एक कानूनी सिद्धांत है जिसके द्वारा एक अदालत छोटी-छोटी बातों पर विचार करने से इंकार कर देती है,) **धारा 95- मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य** - कोई भी चीज इस कारण से अपराध नहीं है कि वह कारित करती है, या कि वह कारित करने का इरादा रखती है, या कि वह कारित करने की संभावना के बारे में जानती है, कोई भी नुकसान, यदि वह नुकसान इतना मामूली हो कि सामान्य समझ और स्वभाव का कोई भी व्यक्ति ऐसे नुकसान की शिकायत नहीं करेगा।

60. **Section 97 of IPC expressly states that the right of private defence is subject to the restrictions contained in: /आईपीसी की धारा 97 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इसमें निहित प्रतिबंधों के अधीन है:**

- (a) Section 99 of IPC/ आईपीसी की धारा 99
- (b) Section 100 of IPC /आईपीसी की धारा 100
- (c) Section 98 of IPC /आईपीसी की धारा 98
- (d) Section 102 of IPC. /आईपीसी की धारा 102।

Ans. [a]

#### Linked Provisions:-

1. **Sec 98-** Right of private defence against the act of a person of unsound mind.
2. **Sec 99-** Acts against which there is no right of private defence
3. **Sec 100-** When the right of private defence of the body extends to causing death.
4. **Sec 102-** Commencement and continuance of the right of private defence of the body.

5. **Section 75-106** – GeneralException chapter – 6.
6. **Section 105-** Commencement and continuance of the right of private defence of property.

**Explanation:- Sec 97-** Right of private defence of the body and of property—Every person has a right, subject to the restrictions contained in section 99, to defend— First.—His own body, and the body of any other person, against any offence affecting the human body; Secondly.—The property, whether movable or immovable, of himself or of any other person, against any act which is an offence falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass.

#### लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 98-** ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विक्रितचित आदि हो।
2. **धारा 99-** ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।
3. **धारा 100-** जब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है।
4. **धारा 102-** शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।
5. **धारा 75-106** – सामान्य अपवाद अध्याय- 6.
6. **धारा 105-** संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रारंभ और जारी रहना

**स्पष्टीकरण:- धारा 97- शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार** - प्रत्येक व्यक्ति को, धारा 99 में निहित प्रतिबंधों के अधीन, बचाव करने का अधिकार है - पहला - अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, किसी भी अपराध के खिलाफ मानव शरीर को प्रभावित करना; दूसरा.—किसी भी कार्य के विरुद्ध उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, चाहे वह चल या अचल हो, जो चोरी, डकैती, शराब या आपराधिक अतिचार की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला अपराध है, या जो चोरी, डकैती करने का प्रयास है, शराब या आपराधिक अतिचार।

61. **The language of Part third of Section 105 is similar to that of: / धारा 105 के भाग तीसरे की भाषा इसके समान है:**

- (a) Section 39 of IPC/ आईपीसी की धारा 39
- (b) Section 37 of IPC / आईपीसी की धारा 37
- (c) Section 38 of IPC / आईपीसी की धारा 38
- (d) Section 40 of IPC / आईपीसी की धारा 40

Ans. [a]

#### Linked Provisions:-

1. **Sec 98-** Right of private defence against the act of a person of unsound mind.
2. **Sec 99-** Acts against which there is no right of private defence
3. **Sec 100-** When the right of private defence of the body extends to causing death.
4. **Sec 102-** Commencement and continuance of the right of private defence of the body.
5. **Section 75-106** – GeneralException chapter – 6.
6. **Section 105-** Commencement and continuance of the right of private defence of property.

**Explanation:- Section 105-** Commencement and continuance of the right of private defence of







property- apprehension of danger to the property commences.  
against theft.

1. robbery continues attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or as long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint continues.
2. criminal trespass or mischief continues .
3. house-breaking by night continues as long as the house-trespass which has been begun by such house-breaking continues.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 98- ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिराक्क्षा का अधिकार जो विक्रितचित आदि हो।
2. धारा 99- ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिराक्क्षा का कोई अधिकार नहीं है।
3. धारा 100- जब शरीर की प्राइवेट प्रतिराक्क्षा का अधिकार विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है ।
4. धारा 102- शरीर की प्राइवेट प्रतिराक्क्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना।
5. धारा 75-106 – सामान्य अपवाद अध्याय- 6.
6. धारा 105- संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रारंभ और जारी रहना

**स्पष्टीकरण:-** धारा 105- संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार का प्रारंभ और जारी रहना-

1. संपत्ति को खतरे की आशंका होने लगती है.
2. चोरी के विरुद्ध ।
3. डकैती जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट या गलत अवरोध का कारण बनता है या प्रयास करता है या जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल चोट या तत्काल व्यक्तिगत अवरोध का भय बना रहता है।  
आपराधिक अतिचार या रिष्टि जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है।
4. रात में घर तोड़ना तब तक जारी रहता है जब तक घर तोड़ने से शुरू हुआ घर-अतिक्रमण जारी रहता है।

62. Which of the following Sections of IPC has incorporated the English law known as principal in the Second degree? /आईपीसी की निम्नलिखित में से किस धारा में द्वितीय डिग्री में प्रधान के रूप में जाने जाने वाले अंग्रेजी विधि को शामिल किया गया है?

- (a) Section 114 / धारा 114
- (b) Section 112/ धारा 112
- (c) Section 110 / धारा 110
- (d) Section 109 / धारा 109

**Ans. [a]**

**Linked Provisions:-**

1. **Sec 109-** Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment.
2. **Sec 110-** Punishment of abetment if person abetted does act with different intention from that of abettor.
3. **Sec 112-** Abettor when liable to cumulative punishment for act abetted and for act done.
4. **Section 107-** Abetment of thing .
5. **Section 108-** Abettor.

**Explanation:- Sec 114-** Abettor present when offence is committed.—Whenever any person, who is absent would be liable to be punished as an abettor, is present when the act or offence for which he would be punishable in consequence of the abetment is committed, he shall be deemed to have committed such act or offence.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 109- दुष्प्रेरण का दण्ड ,यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणामस्वरूप किया जाता है और जहां इसकी दण्ड के लिए कोई अभिवैक्त उपबंध नहीं किया गया है।
2. धारा 110 - दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरित करने वाले से भिन्न आशय से कार्य करता है तो ।
3. धारा 112- दुष्प्रेरक जब दुष्प्रेरित कार्य और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड के लिए उत्तरदायी हो।
4. धारा 107- किसी बात के लिए उकसाना।
5. धारा 108- दुष्प्रेरक।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 114- जब अपराध किये जाते समय दुष्प्रेरक उपस्थिति - जब भी कोई व्यक्ति, जो अनुपस्थित है, दुष्प्रेरक के रूप में दंडित किया जा सकता है, उस समय उपस्थित होता है जब वह कार्य या अपराध जिसके लिए दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप वह दंडनीय होगा, वह उपस्थित होता है। ऐसा कार्य या अपराध किया हुआ माना जाएगा।

63. The definition of criminal conspiracy in Section 120-A, IPC has been taken from that given in:/ आईपीसी की धारा 120-क में दी गई आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा से ली गई है:

- (a) Mulcahy v. Queen / मुल्काही बनाम क्वीन
- (b) Quinn v. Leatham / क्विन बनाम लीथम
- (c) Abdul Rehman v. Emperor / अब्दुल रहमान बनाम सम्राट
- (d) R v. Vincent./ आर बनाम विंसेंट

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

**Sec 120A- Definition of criminal conspiracy—** When two or more persons agree to do, or cause to be done,— (1) an illegal act, (2) an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy.

**Sec 120B.-Punishment of criminal conspiracy—**(1) Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of two years . Mulcahy v. Queen -Criminal Conspiracy.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

**धारा 120A-** आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा - जब दो या दो से अधिक व्यक्ति (1) एक गैरकानूनी कार्य करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, (2) एक ऐसा कार्य जो अवैध तरीकों से अवैध नहीं है, तो ऐसे समझौते को नामित किया जाता है आपराधिक साजिश.

**धारा 120 B -** आपराधिक षडयंत्र की सजा-(1) जो भी मौत, आजीवन कारावास या दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश में एक पक्ष है

64. Homicide cannot be defined as killing of a person by a person in view of the nature of the definition of the word 'person' in: /'व्यक्ति' शब्द की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानववध को किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है:





- (a) Section 13 of the Indian Penal Code/ भारतीय दंड संहिता की धारा 13  
(b) Section 11 of the Indian Penal Code / भारतीय दंड संहिता की धारा 11  
(c) Section 9 of the Indian Penal Code/ भारतीय दंड संहिता की धारा 9  
(d) Section 7 of the Indian Penal Code. / भारतीय दंड संहिता की धारा 7।

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

1. **Sec 7-** Sense of expression once explained
2. **Sec 9-**Number.
3. **Section 141-** unlawful assembly 5 or more persons .
4. **section 391-** Dacoity 5 or more persons .
5. **Section 120A-** Criminal Conspiracy 2 or more persons .
6. **Section 158-** affray 2 or more persons .

**Explanation:- Sec 11- Person** —The word “person” includes any Company or Association or body of persons, whether incorporated or not.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. **धारा 7-** एक बार अस्पष्टिकृत पद का भाव ।
2. **धारा 9-**वचन ।
3. **धारा 141-** 5 या अधिक व्यक्तियों का गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना।
4. **धारा 391-** 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा डकैती।
5. **धारा 120ए-** 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा आपराधिक षडयंत्र।
6. **धारा 158-** 2 या अधिक व्यक्तियों के साथ मारपीट।

**स्पष्टीकरण:- धारा 11-** व्यक्ति - शब्द "व्यक्ति" में कोई भी कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे निगमित हो या नहीं।

**65. The requirement of possession has been highlighted by illustrations: / कब्जे की आवश्यकता को दृष्टांतों द्वारा उजागर किया गया है:**

- (a) (a), (b), (c) and (d) in Section 378 of IPC. / (क), (ख), (ग) और (घ) आईपीसी की धारा 378 में  
(b) (b), (c), (d) and (e) in Section 278 of IPC / (ख), (ग), (घ) और (ङ) आईपीसी की धारा 278 में  
(c) (c), (d), (e) and (f) in Section 378 of IPC / (ग), (घ), (ङ) और (च) आईपीसी की धारा 378 में  
(d) (d), (e), (f) and (g) in Section 378 of IPC. / (घ), (ङ), (च) और (छ) आईपीसी की धारा 378 में।

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-** Theft related Sections- (356, 378, 379, 380, 381, 382, 390, 439)

1. **Section 379-** Punishment of theft.
2. **Section 380-** theft in dwelling house, etc.
3. **Section 381-** Theft by clerk or servant in possession of master.
4. **Section 382-** Theft after preparation made for causing death.

**Explanation:- Sec 378- Theft**—Whoever, intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent, moves that property in order to such taking, is said to commit theft.

**Illustration:-** (c) A meets a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction, in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed theft of the treasure. (d) A being Z's servant, and entrusted by Z with the care of Z's plate, dishonestly runs away with the plate, without Z's consent. A has committed theft.

**लिंकिंग प्रावधान:-** चोरी संबंधी धाराएँ- (356, 378, 379, 380, 381, 382, 390, 439)

1. **धारा 379-** चोरी की सजा.
2. **धारा 380-** रिहायशी मकान में चोरी आदि।
3. **धारा 381-** मालिक के कब्जे में क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी।
4. **धारा 382** – मृत्यु कारित करने की तैयारी करके चोरी करना।

**स्पष्टीकरण:- धारा 378- चोरी** - जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सहमति के बिना किसी चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का इरादा रखता है, उस संपत्ति को ऐसे लेने के लिए स्थानांतरित करता है, उसे चोरी करना कहा जाता है।

**उदाहरण:-** (c) ए को खजाने का एक बक्सा ले जाते हुए एक बैल मिलता है। वह बैल को एक निश्चित दिशा में हांकता है, ताकि वह बेईमानी से खजाना ले सके। जैसे ही बैल चलना शुरू करता है, ए ने खजाने की चोरी कर ली है। (d) ए ज़ेड का नौकर है, और ज़ेड द्वारा उसे ज़ेड की प्लेट की देखभाल सौंपी गई है, वह ज़ेड की सहमति के बिना, बेईमानी से प्लेट लेकर भाग जाता है। ए ने चोरी की है।

**66. Theft under Indian Penal Code differs from larceny in English Law which contemplated: / भारतीय दंड संहिता के तहत चोरी अंग्रेजी विधि में चोरी से भिन्न है जिसमें विचार किया गया है:**

- (a) Permanent gain and loss / स्थायी लाभ और हानि  
(b) Loss of property / संपत्ति की हानि  
(c) Moving of property / संपत्ति का स्थानांतरण  
(d) Denying the owner of his property / अपनी संपत्ति के मालिक को अस्वीकार करना।

**Ans. [a]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 379-** Punishment of theft.
2. **Section 380-** theft in dwelling house, etc.
3. **Section 381-** Theft by clerk or servant in possession of master.
4. **Section 382-** Theft after preparation made for causing death.

**Explanation :-** Section 378 and is uniformly recognised by various decisions of the High Courts which point out that in this respect “ theft ” under the Indian Penal Code differs from “ larceny ” in English law which contemplated permanent gain or loss.

**Case:-** K.N Mehra vs State of rajasthan.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. **धारा 379-** चोरी की सजा.
2. **धारा 380-** रिहायशी मकान में चोरी आदि।
3. **धारा 381-** मालिक के कब्जे में क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी।
4. **धारा 382** – मृत्यु कारित करने की तैयारी करके चोरी करना।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 378 और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों द्वारा समान रूप से मान्यता प्राप्त है जो बताते हैं कि इस संबंध में भारतीय दंड संहिता के तहत “चोरी” अंग्रेजी कानून में “चोरी” से भिन्न है जो स्थायी लाभ या हानि पर विचार करता है।





केस:- के.एन मेहरा बनाम राजस्थान राज्य।

67. 'A' instigates 'B' to murder 'C' who refuses to do so. 'A' is guilty of: / 'क' 'ख' को 'ग' की हत्या करने के लिए उकसाता है जो ऐसा करने से इनकार करता है। 'क' दोषी है:

- Abetment to commit murder/ हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण
- No offence/ कोई अपराध नहीं
- Criminal conspiracy /आपराधिक षडयंत्र
- Criminal instigation. /आपराधिक उकसावे।

Ans. [a]

**Linked Provisions:-**

- Sec 92-** Act done in good faith for benefit of a person without consent- **no offence.**
- Sec 93-** Communication made in good faith- no offence
- Sec 120A-** Definition of criminal conspiracy.
- Sec 120B-** Punishment of criminal conspiracy
- Abetment---**Section- (107,108,109, 110,111,112,113, 114, 115, 116,132, 133,134,138,305,306)

**Explanation:-Sec 108- Abettor**—A person abets an offence,

- commission of an offence,
- commission of an act which would be an offence,
- if committed by a person capable by law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the abettor.

Illustration:- (a) A instigates B to murder C. B refuses to do so. A is guilty of abetting B to commit murder.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

- धारा 92-** सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना से किया गया कार्य - कोई अपराध नहीं।
- धारा 93-** सद्भावना से किया गया संचार - कोई अपराध नहीं।
- धारा 120A-** आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा।
- धारा 120B-** आपराधिक षडयंत्र की दंड।
- दुष्प्रेरण---**धारा- (107,108,109, 110,111,112,113, 114, 115, 116,132, 133,134,138,305,306)

**स्पष्टीकरण:- धारा 108- दुष्प्रेरक** - एक व्यक्ति किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरित करता है,

किसी अपराध का घटित होना,

ऐसा कार्य करना जो अपराध होगा, यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है जो दुष्प्रेरक के समान इरादे या जानकारी के साथ अपराध करने में सक्षम है।

उदाहरण:- (a) ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है। बी ऐसा करने से इनकार करता है। ए, बी को हत्या के लिए उकसाने का दोषी है।

68. Which one of the following brings out the distinction between Section 34 and 149 of the IPC? / निम्नलिखित में से कौन आईपीसी की धारा 34 और 149 के बीच अंतर को उजागर करता है?

- Section 149 creates a specific offence whereas Section 34 does not / धारा 149 एक विशिष्ट अपराध बनाती है जबकि धारा 34 ऐसा नहीं करती है
- Section 34 creates a specific offence whereas Section 149 does not / धारा 34 एक विशिष्ट अपराध बनाता है जबकि धारा 149 नहीं बनाता है

(c) Section 34 as well as Section 149 create specific offences / धारा 34 के साथ-साथ धारा 149 भी विशिष्ट अपराध बनाती है

(d) Section 34 as well as Section 149 do not create specific offences. / धारा 34 और धारा 149 विशिष्ट अपराध नहीं बनाते हैं।

Ans. [a]

**Linked Provisions:-**

- Sec 34-** Acts done by several persons in furtherance of common intention. (Sec 376D, Sec 376DA, Sec 376DB)
- Sec 149-** Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object.

**Explanation:-**

- In sec 34, the number of people must be more than one, but in sec 149, the unlawful assembly must consist of at least a group of five people.
- Sec 34 requires common intentions, whereas sec 149 requires common objects.
- In sec 34, a Prior meeting of the people is necessary, whereas, in sec 149, the prior meeting of a group of people is not required.

Active participation in the crime is necessary for sec 34, and in sec 149, active participation in the offence is not required.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

- धारा 34** - सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। (धारा 376D, धारा 376DA, धारा 376DB)
- धारा 149** - गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी।

**स्पष्टीकरण:-**

- धारा 34 में, लोगों की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए, लेकिन धारा 149 में, गैरकानूनी सभा में कम से कम पांच लोगों का समूह होना चाहिए
- धारा 34 में सामान्य इरादों की आवश्यकता होती है, जबकि धारा 149 में सामान्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है।
- धारा 34 में, लोगों की पूर्व बैठक आवश्यक है, जबकि धारा 149 में, लोगों के समूह की पूर्व बैठक की आवश्यकता नहीं है।
- धारा 34 के तहत अपराध में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, और धारा 149 के तहत अपराध में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं है।

69. The Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2002 permits evidence in the form of: / सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 निम्नलिखित के रूप में साक्ष्य की अनुमति देता है:

- Petition / याचिका
- Affidavits / शपथ पत्र
- Statements/ कथन
- Documents /दस्तावेज़

Ans. [b]

**Linked Provisions:-**

- Order XIX-** Rule (1-3) Affidavits.
- Sec164-** talks about the statements recorded by Magistrate: CrPC

**Explanation:-** Every case, the examination- in- chief of a witness shall be on affidavit and copies thereof shall

Linking Laws is a Professional Institute provide

AI based Smart Preparation for

Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India

(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)



Scan this  
QR Code to  
Linking Laws BIOs

Linking Laws  
Linking Laws Tansukh Sir  
www.LinkingLaws.com  
Get Subscription Now





be supplied to the opposite party by the party who calls him for evidence: Provided that where documents are filed and the parties rely upon the documents, the proof and admissibility of such documents which are filed along with affidavit shall be subject to the orders of the Court.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. आदेश XIX- नियम (1-3) शपथ पत्र।
2. धारा 164- मजिस्ट्रेट: सीआरपीसी द्वारा दर्ज किए गए बयानों के बारे में बात करती है

**स्पष्टीकरण:-** प्रत्येक मामले में, गवाह का मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पर होगा और उसकी प्रतियां उस पक्ष द्वारा विरोधी पक्ष को प्रदान की जाएंगी जो उसे साक्ष्य के लिए बुलाता है। बशर्ते कि जहां दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं और पक्ष दस्तावेजों पर भरोसा करते हैं, हलफनामे के साथ दाखिल किए गए ऐसे दस्तावेजों का प्रमाण और स्वीकार्यता न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी।

**70. It has been held by the Supreme Court in R.M. Malkani v. State of Maharashtra that a contemporaneous tape-record of a relevant conversation is a relevant fact. It is: /यह उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में आयोजित किया गया है कि सुसंगत बातचीत का समसामयिक टेप-रिकॉर्ड एक सुसंगत तथ्य है। यह है:**

- (a) Relevant /सुसंगत
- (b) Res gestae/ रेस जेस्टे
- (c) Admissible /स्वीकार्य
- (d) Documents/ दस्तावेज

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

1. **Sec3 -Relevant**— One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this Act relating to the relevancy of facts.
2. **Sec (5-51)**- Relevancy of Fact.
3. **Sec (17-24)** Admission.
4. **Sec (61-73A)** -Documentary Evidence.
5. **Sec (74-78)** Public Document.

**Explanation:-** R.M. Malkani v. State of Maharashtra (1973), the Supreme Court held that tape recorded conversations could be admissible as evidence, provided they satisfied the tests of relevance, authenticity, and reliability.(Sec 6 of Res Gestae )

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. **धारा 3-** सुसंगत- एक तथ्य को दूसरे के लिए प्रासंगिक कहा जाता है जब तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है।
2. **धारा (5-51)**- तथ्य की प्रासंगिकता।
3. **धारा (17-24)** स्वविकृति |
4. **धारा (61-73A)** - दस्तावेजी साक्ष्य।
5. **धारा (74-78)** सार्वजनिक दस्तावेज।

**स्पष्टीकरण:-** आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973), सुप्रीम कोर्ट ने माना कि टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो सकती है, बशर्ते वे प्रासंगिकता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के परीक्षणों को पूरा करते हों (रेस गेस्टे की धारा 6)

**71. Section 11 of the Indian Evidence Act enables a person charged with a crime to take what is commonly called the plea of: /भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को वह याचिका लेने में सक्षम बनाती है जिसे आमतौर पर दलील कहा जाता है:**

- (a) res gestae / रेस जेस्टे
- (b) lis pendens / लिस पेंडेंस (लंबित वाद)
- (c) alibi / दलील
- (d) res-judicata / प्राड्युकाटा

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-**

1. Lis pendens - is a notice that a property has a claim against it backed by a pending lawsuit. (Sec 52 of TPAAct 1882)
2. Res -judicata - the thing has been judged by the court, the issue before a court has already been decided by another court and between the same parties. (Sec 11 of CPC 1908)
3. res gestae- Sec 6- Relevancy of facts forming part of same transaction .

**Explanation:-** Sec 11-When facts not otherwise relevant become relevant- (1) if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact; (2) if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. लिस पेंडेंस - एक नोटिस है कि किसी संपत्ति के खिलाफ एक लंबित मुकदमे द्वारा दावा किया गया है। (TPAAct 1882 की धारा 52)
2. पुनर्निर्णय - मामले का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है, एक न्यायालय के समक्ष मुद्दे का निर्णय पहले ही किसी अन्य न्यायालय द्वारा और समान पक्षों के बीच किया जा चुका है। (धारा 11 CPC 1908)
3. **रेस गेस्टे- धारा 6-** एक ही लेन-देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की सुसंगत ।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 11-जब वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत हो जाते हैं- (1) यदि वे किसी विवादग्रस्त तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं; (2) यदि वे स्वयं या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी विवादग्रस्त तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व को अत्यधिक संभावित या असंभव बनाते हैं।

**72. A judicial admission operates a: एक न्यायिक स्वीकृति प्रचलित होती है:**

- (a) an admission / एक स्वीकृति
- (b) a confession / एक संस्वीकृति
- (c) a plea of ignorance / अज्ञानता की दलील
- (d) a waiver of proof. / सबूत की छूट।

**Ans. [d]**

**Linked Provisions:-**

1. **Sec 17-** Admission.
2. **Sec 24-** Confession caused by inducement, threat or promise, when irrelevant in criminal proceeding. **Sec 25, Sec 26 Sec 27, Sec 28, Sec 29.**
3. *Pakala Narayan Swami V. Emperor.*
4. *Palvinder Kaur V. State of Punjab.*

**Explanation:-** The first is that if a party has admitted a fact, it dispenses with the necessity of proving that







fact against him. It operates as waiver of proof. To a certain extent this principle has been expressly adopted by section 58 of the Indian Evidence Act, 1872.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 17- स्वीकृति।
2. धारा 24 - आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक होने पर प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण की गई स्वीकारोक्ति। धारा 25, धारा 26 धारा 27, धारा 28, धारा 29।
3. पकला नारायण स्वामी वि. सम्राट।
4. पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य।

**स्पष्टीकरण:-** पहला यह है कि यदि किसी पक्ष ने किसी तथ्य को स्वीकार कर लिया है, तो वह उस तथ्य को उसके विरुद्ध साबित करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है। यह सबूत की छूट के रूप में कार्य करता है। कुछ हद तक इस सिद्धांत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58 द्वारा स्पष्ट रूप से अपनाया गया है।

**73. The burden of proof means the obligation to prove a fact. This is defined under: /सबूत के भार का अर्थ है किसी तथ्य को साबित करने का दायित्व। इसे इसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है:**

- (a) Section 201 of the Indian Evidence Act / भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 201
- (b) Section 101 of the Indian Evidence Act / भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101
- (c) Section 200 of the Indian Evidence Act / भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 200
- (d) Section 100 of the Indian Evidence Act. / भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 100।

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

1. Ch VII -Sec (101-114A) Burden of Proof.
2. Section 101- Burden of proof
3. Section 102- on whom Burden of proof lies.
4. Section 103- Burden of proof as a particular fact.
5. Section 106- burden of proving fact especially within knowledge.

**Explanation:-Sec 101- Burden of proof.** – Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

**लिंकिंग प्रावधान :-**

1. अध्याय VII- धारा (101-114ए) सबूत का भार
2. धारा 101- सबूत का भार
3. धारा 102- सबूत का भार किस पर है।
4. धारा 103- एक विशेष तथ्य के रूप में सबूत का भार ।
5. धारा 106- विशेष रूप से ज्ञान के भीतर तथ्य को साबित करने का भार।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 101- सबूत का भार -- जो कोई चाहता है कि कोई न्यायालय उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर किसी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जिनका वह दावा करता है, उसे यह साबित करना होगा कि वे तथ्य मौजूद हैं। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होता है, तो यह कहा जाता है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर है।

**74. The principle stated in Section 106 of the Indian Evidence Act is an application of the principle of: / भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में बताया गया सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांत का अनुप्रयोग है:**

- (a) res gestae / रेस जेस्टे
- (b) res ipsa loquitur / रेस इप्सा लोकिटुर
- (c) res-judicata / प्राइजुड्याटा
- (d) rebus sic stantibus / रेबस सिक स्टैंटिबस

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:-**

1. **Sec 106-** Burden of proving fact especially within knowledge. – When any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him.

2. the concept of rebus sic stantibus (Latin: "things standing thus") stipulates that, where there has been a fundamental change of circumstances, a party may withdraw from or terminate the treaty in question

3. **Section 103-** Burden of proof as a particular fact.

**Explanation:-** Res Ipsa Loquitur is a maxim, the application of which shifts the burden of proof on the defendant. Generally, in a case it is the plaintiff who has to provide evidence to prove the defendant's negligence. There is however, a change when this maxim is used. The burden of proof shifts to the defendant.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 106- विशेष रूप से ज्ञान के भीतर तथ्य को साबित करने का भार – जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है।
2. रेबस सिक स्टैंटिबस (लैटिन: "चीजें इस प्रकार खड़ी हैं") की अवधारणा यह निर्धारित करती है कि, जहां परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन हुआ है, एक पार्टी संबंधित संधि से हट सकती है या समाप्त कर सकती है।
3. धारा 103- एक विशेष तथ्य के रूप में सबूत का भार ।  
**स्पष्टीकरण:-** रेस इप्सा लोकिटुर एक लैटिन है, जिसके लागू होने से सबूत का भार प्रतिवादी पर आ जाता है। आम तौर पर, किसी मामले में वादी को ही प्रतिवादी की लापरवाही साबित करने के लिए सबूत देना होता है। हालांकि, जब इस कहावत का उपयोग किया जाता है तो एक बदलाव होता है। सबूत का भार प्रतिवादी पर स्थानांतरित हो जाता है।

**75. Leading questions can always be asked:/सूचक प्रश्न हमेशा पूछे जा सकते हैं:**

- (a) in second examination / दूसरी परीक्षा में
- (b) in re-examination/ पुनः परीक्षा में
- (c) in cross-examination / प्रतिपरीक्षा में
- (d) in first examination / पहली परीक्षा में

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-**

1. **Sec 137-** Examination-in-chief. Cross-examination. Re-examination.
2. **Sec 138-** Order of examinations. Direction of re-examination.
3. **Sec 139-** Cross-examination of person called to produce a document.
4. **Sec 140-** Witnesses to character.





**Explanation:-Sec 141- Leading questions-** Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive, is called a leading question.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 137 - मुख्य परीक्षा। जिरह. पुनःपरीक्षा।
2. धारा 138- परीक्षाओं का क्रम। दोबारा जांच का निर्देश।
3. धारा 139- दस्तावेज़ पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति से जिरह।
4. धारा 140- चरित्र के गवाह।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 141- अग्रणी प्रश्न-- कोई भी प्रश्न जो उस उत्तर का सुझाव देता है जिसे डालने वाला व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, अग्रणी प्रश्न कहलाता है।

76. **Alibi is governed by: / अलीबी (अन्यत्र उपस्थिति) द्वारा शासित है:**

- (a) Section 8 of Evidence Act/ साक्ष्य अधिनियम की धारा 8
- (b) Section 6 of Evidence Act / साक्ष्य अधिनियम की धारा 6
- (c) Section 11 of Evidence Act/ साक्ष्य अधिनियम की धारा 11
- (d) Section 12 of Evidence Act / साक्ष्य अधिनियम की धारा 12।

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-**

1. **Sec 6-** Relevancy of facts forming part of same transaction.
2. **Sec 8-** Motive, preparation and previous or subsequent conduct.
3. **Sec 12-** In suits for damages, facts tending to enable Court to determine amount are relevant.

**Explanation:- Sec 11-** When facts not otherwise relevant become relevant. (Plea of Alibi)

**Illustration:-** (a) The question is, whether A committed a crime at Calcutta on a certain day. The fact that, on that day, A was at Lahore is relevant. The fact that, near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it, is relevant.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 6- एक ही लेन-देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता।
2. धारा 8- मकसद, तैयारी और पिछला या बाद का आचरण।
3. धारा 12- क्षति के मुकदमों में, अदालत को राशि निर्धारित करने में सक्षम बनाने वाले तथ्य प्रासंगिक हैं।

**स्पष्टीकरण:-** धारा 11- जब तथ्य जो अन्यथा प्रासंगिक नहीं हैं, प्रासंगिक हो जाते हैं। (ऐलिबी की दलील)

**उदाहरण:- (ए)** प्रश्न यह है कि क्या ए ने किसी निश्चित दिन कलकत्ता में कोई अपराध किया था। यह तथ्य कि, उस दिन, ए लाहौर में था, प्रासंगिक है। तथ्य यह है कि, जिस समय अपराध किया गया था, उस समय ए उस स्थान से कुछ दूरी पर था जहां यह किया गया था, जिससे यह अत्यधिक असंभव हो जाता है, हालांकि असंभव नहीं है, कि उसने ऐसा किया है, प्रासंगिक है।

77. **Admissions made by a party are evidence against: / किसी पक्ष द्वारा की गई स्वीकृति इसके विरुद्ध साक्ष्य है:**

- (a) Privies in estate / संपत्ति में गोपनीयता
- (b) Privies in law/ विधि में विशेषाधिकार

(c) Privies in blood / रक्त में विशेषाधिकार

(d) All of the above. / उपरोक्त सभी।

**Ans.**

[\*]

78. **Communication made 'without prejudice' are protected: / 'बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के' की गई संसूचना सुरक्षित हैं:**

- (a) Under Section 21 of Evidence Act / साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के तहत
- (b) Under Section 24 of Evidence Act / साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के तहत
- (c) Under Section 23 of Evidence Act / साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के तहत
- (d) Under Section 22 of Evidence Act. / साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 के तहत।

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-**

1. **Sec 21-** Proof of admissions against persons making them, and by or on their behalf.
2. **Sec 22-** When oral admissions as to contents of documents are relevant.
3. **Sec 22A-** When oral admission as to contents of electronic records are relevant.
4. **Sec 24-** Confession caused by inducement, threat or promise, when irrelevant in criminal proceeding.
5. **Sec 23-** Admissions in civil cases when relevant.-- In civil cases no admission is relevant, if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which the Court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given.

**Explanation.--** Nothing in this section shall be taken to exempt any barrister, pleader, attorney or vakil from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 126.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 21- इन्हें बनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से स्वीकारोक्ति का प्रमाण।
2. धारा 22- जब दस्तावेजों की सामग्री के बारे में मौखिक स्वीकारोक्ति प्रासंगिक हो।
3. धारा 22A- जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री के बारे में मौखिक स्वीकृति प्रासंगिक हो।
4. धारा 24 - आपराधिक कार्यवाही में अप्रासंगिक होने पर प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण की गई स्वीकारोक्ति।
5. धारा 23- सिविल मामलों में प्रवेश प्रासंगिक होने पर--सिविल मामलों में कोई प्रवेश प्रासंगिक नहीं है, यदि यह या तो एक स्पष्ट शर्त पर किया जाता है कि इसका सबूत नहीं दिया जाना है, या उन परिस्थितियों में जिनसे न्यायालय निष्कर्ष निकाल सकता है कि दोनों पक्ष इस बात पर एक साथ सहमत हुए कि इसका सबूत नहीं दिया जाना चाहिए।

**स्पष्टीकरण.--** इस धारा में किसी भी बैरिस्टर, वकील, वकील या वकील को किसी ऐसे मामले का साक्ष्य देने से छूट नहीं दी जाएगी जिसके लिए उसे धारा 126 के तहत साक्ष्य देने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

79. **'Necessity rule' as to the admissibility of evidence is contained in: / साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में 'आवश्यकता नियम' इसमें निहित है:**





- Section 61 of Evidence Act /साक्ष्य अधिनियम की धारा 61
- Section 60 of Evidence Act /साक्ष्य अधिनियम की धारा 60
- Section 32 of Evidence Act /साक्ष्य अधिनियम की धारा 32
- Section 31 of Evidence Act./ साक्ष्य अधिनियम की धारा 31।

Ans. [c]

#### Linked Provisions:-

- Sec 31.** Admissions not conclusive proof, but may estop.
- Sec 32-** Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc., is relevant.
- Sec 60-** Oral evidence must be direct.
- Sec 61-** Proof of contents of documents. Necessity is the General Exception of IPC 1860. (Sec 76-106)

**Explanation:-** Doctrine of necessity is an exception to the principle of 'Nemo judex in causa sua'. According to the said principle, on the basis of bias, an authority is liable to be disqualified. When the doctrine of necessity is invoked, it acts as a defence even when the law is violated making the decision unbiased and valid.

**Case :-** R V. Dudley and Stephens 1884. (Sec 81 of IPC).  
**लिंकिंग प्रावधान:-**

- धारा 31.** स्वविकृति निश्चयक सबूत नहीं है किन्तु विबंध कर सकती है
- धारा 32-** वे दसाएँ जिनमें उस वैक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है मिल नहीं सकता।
- धारा 60-** मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए।
- धारा 61-** दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत।

**आवश्यकता नियम'** (धारा 76-106) IPC 1860 का सामान्य अपवाद है।

**स्पष्टीकरण:-** आवश्यकता का सिद्धांत 'निमो ज्यूडेक्स इन कौसा सुआ' के सिद्धांत का अपवाद है। उक्त सिद्धांत के अनुसार, पूर्वाग्रह के आधार पर कोई प्राधिकारी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जब आवश्यकता के सिद्धांत को लागू किया जाता है, तो यह निर्णय को निष्पक्ष और वैध बनाते हुए कानून का उल्लंघन होने पर भी बचाव के रूप में कार्य करता है।  
आर वी. डुडली और स्टीफेंस 1884। (IPC की धारा 81)।

#### 80. The res inter alia acta is receivable:/ रेस इंटर एलिया एक्टा निहित है:

- Under Section 48 of Evidence Act/ साक्ष्य अधिनियम की धारा 48 के तहत
- Under Section 47 of Evidence Act /साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 के तहत
- Under Section 46 of Evidence Act/ साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के तहत
- Under Section 45 of Evidence Act. /साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत।

Ans. [c]

#### Linked Provisions:-

- Sec 45-** Opinions of experts.
- Sec 45A-** Opinion of Examiner of Electronic Evidence.

- Sec 46-** Facts bearing upon opinions of experts.
- Sec 47-** Opinion as to handwriting, when relevant.
- Sec 47A-** Opinion as to digital signature, when relevant.
- Sec 48-** Opinion as to existence of right or custom, when relevant.

**Explanation:-** Res inter alios acta, aliis nec nocet nec prodest (a thing done between some does not harm or benefit others) is a law doctrine which holds that a contract cannot adversely affect the rights of one who is not a party to the contract.

#### लिंकिंग प्रावधान:-

- धारा 45-** विशेषज्ञों की राय.
- धारा 45A -** इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय।
- धारा 46-** विशेषज्ञों की रायों से सम्बंधित तथ्य।
- धारा 47-** हस्तलेख के बारे में राय, कब सुसंगत है।
- धारा 47A -** डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय, कब सुसंगत है।
- धारा 48-** अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय, कब सुसंगत हो।

**स्पष्टीकरण:-** रेस इंटर एलियोस एक्टा, एलिस नेक नोसेट एनईसी प्रॉडेस्ट (कुछ लोगों के बीच की गई बात दूसरों को नुकसान या फायदा नहीं पहुंचाती है) एक कानून सिद्धांत है जो मानता है कि एक संविदा उस व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है जो संविदा का पक्ष नहीं है।

#### 81. Section 92 of Evidence Act applies to: / साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 लागू होती है:

- Bilateral documents/ द्विपक्षीय दस्तावेज़
- Unilateral documents /एकतरफ़ा दस्तावेज़
- Both (a) and (b) /दोनों (ए) और (बी)
- Either (a) and (b). / या तो (ए) और (बी)।

Ans. [a]

#### Linked Provisions:-

- Ch -VI Sec (91-100) -** Exclusion of oral by Documentary Evidence.
- Sec 91-** Evidence of terms of contracts, grants and other dispositions of property reduced to form of document.
- Sec 92-** Exclusion of evidence of oral agreement.

**Explanation:-** All records, whether they pretend to the disposition of rights, are subject to this 91 of IEA. In contrast to Sec 92, where it applies primarily to bilateral documents, Sec 91 refers to all bilateral and standardized unilateral paperwork.

#### लिंकिंग प्रावधान:-

- अध्याय-VI धारा (91-100) -** दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में।
- धारा 91-** दस्तावेज़ के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदान तथा सम्पत्ति के अन्य व्यायनों के निबंधनों का साक्ष्य।
- धारा 92-** मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन।

**स्पष्टीकरण:-** सभी रिकॉर्ड, चाहे वे अधिकारों के स्वभाव का दावा करते हों, IEA के इस 91 के अधीन हैं। धारा 92 के विपरीत, जहां यह मुख्य रूप से द्विपक्षीय दस्तावेजों पर लागू होता है, धारा 91 सभी द्विपक्षीय और मानकीकृत एकतरफ़ा कागजी कार्रवाई को संदर्भित करता है।

#### 82. Estoppel: विबंध:



Scan this  
QR Code to  
Linking Laws BIOs





- (a) Need not be specifically pleaded /विशेष रूप से अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है
- (b) Should be specifically pleaded /विशेष रूप से अनुरोध किया जाना चाहिए
- (c) May be specifically pleaded or may not be specifically pleaded/ विशेष रूप से अनुरोध किया जा सकता है या विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया जा सकता है
- (d) Both (b) & (c) are correct./ दोनों (बी) और (सी) सही हैं।

Ans. [b]

#### Linked Provisions:-

1. **Section 115-117** – Estoppels (IEA).
2. **Section 235** – Liability of pretended agent. (ICA)
3. **Section 43**- Promissory estoppel TPA)
4. **Section 120,121,122**- negotiable instrument act,1881.

**Explanation:- Sec115- Estoppel**--When one person has, by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed, in any suit or proceeding between himself and such person or his representative, to deny the truth of that thing.

#### लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 115-117** – एस्टॉपेल्स (आईईए)।
2. **धारा 235** – फर्जी एजेंट का दायित्व। (आईसीए)
3. **धारा 43**- प्रॉमिसरी एस्टॉपेल टीपीए)
4. **धारा 120,121,122**- परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881।

**स्पष्टीकरण:- धारा 115- विबंध** --जब एक व्यक्ति ने, कार्य या लोप के द्वारा, अन्य व्यक्ति को विश्वास शाशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है तब तोह न उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे वैक्ति को, या उसके प्रतिनिधि के, बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस वाद की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जायेगा।

#### 83. Zahira Sheikh was prime witness in: / जाहिरा शेख मुख्य साक्षी थी:

- (a) Best Bakery retrial case (2006) /बेस्ट बेकरी पुनःविचारण मामला (2006)
- (b) Best Bakery case (2004) /बेस्ट बेकरी केस (2004)
- (c) Sukh Ram disproportionate assets case (2005)/ सुखराम आय से अधिक संपत्ति मामला (2005)
- (d) Gujjar Killings case (2003)/ गुज्जर हत्या मामला (2003)।

Ans. [a]

#### Linked Provisions:-

1. **Sec (118-134)** -Witnesses
2. **Sec (135-166)** -Examination of witnesses.

**Explanation:-** Best Bakery Gujarat 2002 communal riots case.

The day after the attack, Zaheera Sheikh filed the FIR Sheikh, a 19-year-old during the incident, was a key and notable witness. She stated that she saw a large mob set fire to their bakery and saw them burn her family members to death.

#### लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा (118-134)**-साक्षी
2. **धारा (135-166)** - गवाहों की परीक्षा।

**स्पष्टीकरण:-** बेस्ट बेकरी गुजरात 2002 सांप्रदायिक दंगा मामला। हमले के अगले दिन, जहीरा शेख ने FIR दर्ज की, घटना के दौरान 19 वर्षीय शेख एक प्रमुख और उल्लेखनीय गवाह था। उसने कहा कि उसने एक बड़ी भीड़ को उनकी बेकरी में आग लगाते देखा और देखा कि उन्होंने उसके परिवार के सदस्यों को जलाकर मार डाला।

#### 84. The presumption under Section 41 of Evidence Act is a: / साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के तहत उपधारणा एक है:

- (a) Presumption of fact / तथ्य की उपधारणा
- (b) Rebuttable presumption of law / विधि की खंडनीय उपधारणा
- (c) Presumption of fact & law/ तथ्य और विधि की उपधारणा
- (d) Irrebuttable presumption of law. /विधि की अखंडनीय उपधारणा।

Ans. [d]

#### Linked Provisions:-

1. **Sec (79-90A)**- Presumption as to Documents.
2. **Sec 4** -Shall Presume is Rebuttable Presumption of law. (Sec 79-85C)
3. **Sec 4**- Coclusive Proof is Irrebuttable .Sec 41,Sec 112, Sec113.

**Explanation:-** Irrebuttable presumptions are those legal rules which are not overcome by any evidence that the fact is otherwise. For example sec 82 of IPC, A child under seven years of age is immune from criminal liability and principles of estoppel under sec 115-117 of the evidence act.

#### लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा (79-90A)**- दस्तावेजों के संबंध में अनुमान।
2. **धारा 4** – उपधारण करेगा जो परिवर्तनीय है। (धारा 79-85C)
3. **धारा 4**- निश्चायक सबूत जो अपरिवर्तनीय है। धारा 41, धारा 112, धारा 113।

**स्पष्टीकरण:-** अकाट्य अनुमान वे कानूनी नियम हैं जिन्हें किसी भी सबूत से दूर नहीं किया जा सकता है कि तथ्य अन्यथा है। उदाहरण के लिए आईपीसी की धारा 82, सात साल से कम उम्र का बच्चा साक्ष्य अधिनियम की धारा 115-117 के तहत आपराधिक दायित्व और एस्टॉपल के सिद्धांतों से मुक्त है।

#### 85. Pecuniary jurisdiction of the court has been dealt with in: / न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के तहत दिया गया है:

- (a) Section 6 of CPC /सीपीसी की धारा 6
- (b) Section 5 of CPC /सीपीसी की धारा 5
- (c) Section 4 of CPC / सीपीसी की धारा 4
- (d) Section 3 of CPC. /सीपीसी की धारा 3।

Ans. [a]

#### Linked Provisions:-

1. **Section 3**-Subordination of Courts.
2. **Section.15**: Place of Suing Based on Pecuniary Basis.
3. **Section 5**- Application of the Code to Revenue Courts.
4. **Section 15 to 20**- Pecuniary jurisdiction

**Explanation:-Sec 6- Pecuniary jurisdiction**—Save in so far as is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any Court jurisdiction over suits the amount or value of the







subject-matter of which exceeds the pecuniary limits (if any) of its ordinary jurisdiction.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. धारा 3-न्यायालयों की अधीनता।
2. धारा 15 - आर्थिक आधार पर मुकदमा चलाने का स्थान।
3. धारा 5- संहिता का राजस्व न्यायालयों का लागू होना।
4. धारा 15 से 20- आर्थिक क्षेत्राधिकार

**स्पष्टीकरण:-** धारा 6- धन सम्बन्धी अधिकारिता - अभिवैक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाये, उसके किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वार्दों पर अधिकारिता दे दे जिनकी रकम या विषय वास्तु का मूल्य उसकी मामूली अधिकारिता को धन सम्बन्धी सीमाओं से सम्बंधित है।

## 86. Section 20 of CPC does not apply to: / सीपीसी की धारा 20 इन पर लागू नहीं होती:

- (a) Arbitration proceedings/ मध्यस्थता कार्यवाही
- (b) Civil proceedings / सिविल कार्यवाही
- (c) Both (a) & (b) / दोनों (ए) और (बी)
- (d) Neither (a) nor (b). / न तो (ए) और न ही (बी)।

**Ans. [a]**

**Linked Provisions:-** Sec 20-Other suits to be instituted where defendants reside or cause of action arise

**Explanation:-** Applicability of CPC is precluded from Arbitration, as Arbitration is a civil matter, Section 20 of the CPC would be applicable for determining the jurisdiction of the Arbitration Tribunal.

The scope of Section 20 of the Act restricts the Court to give findings on issues emanating from an agreement itself regarding which the parties have agreed to resolve through arbitration. The Court is only required to satisfy itself regarding the existence of a real and alive dispute between the parties.

**लिंकिंग प्रावधान:-** धारा 20 - अन्य मुकदमे वहाँ संस्थित किए जाएंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं जहाँ वाद हेतु पैदा होता है।

**स्पष्टीकरण:-** CPC की प्रयोज्यता को मध्यस्थता से बाहर रखा गया है, क्योंकि मध्यस्थता एक नागरिक मामला है, CPC की धारा 20 मध्यस्थता न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करने के लिए लागू होगी। अधिनियम की धारा 20 का दायरा न्यायालय को एक समझौते से निकलने वाले मुद्दों पर निष्कर्ष देने के लिए प्रतिबंधित करता है जिसके संबंध में पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से हल करने के लिए सहमत हुए हैं। न्यायालय को केवल पक्षकार के बीच वास्तविक और जीवन्त विवाद के अस्तित्व के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक है।

## 87. Under Order IV, Rule 1, sub-rule (1) of CPC, a suit is instituted when: / सीपीसी के आदेश IV, नियम 1, उप-नियम (1) के तहत, एक वाद तब संस्थित किया जाता है जब:

- (a) a plaint in duplicate is presented to the court / दो प्रतियों में एक वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है
- (b) a plaint is presented to the court/ एक वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है
- (c) a plaint in triplicate is presented to the court / तीन प्रतियों में एक वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है
- (d) either (a) or (b) or (c). / या तो (ए) या (बी) या (सी)।

**Ans. [a]**

**Linked Provisions:-**

1. Order 37- interpleader suit
2. order 6 rule 15.

**Explanation :-**

### 1. Order IV - Institution of Suits.

#### 2. Rule 1- Suit to be commenced by plaint.—

- (1) Every suit shall be instituted by presenting plaint in duplicate to the Court] or such officer as it appoints in this behalf.
- (2) Every plaint shall comply with the rules contained in Orders VI and VII, so far as they are applicable.
- (3) The plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirements specified in sub-rules (1) and (2)

#### 3. Rule 2- Register of suits.

**लिंकिंग प्रावधान:-**

1. आदेश 37- इंटरप्लीडर सूट
2. आदेश 6 नियम 15.

**स्पष्टीकरण :-**

#### 1. आदेश IV -वादो का संस्थित किया जाना।

#### 2. नियम 1- वादपत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा—

- (1) हर वाद नयायालय को या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त अधिकारी को न्यायालय में दो प्रतियों में वादपत्र संस्थापित किया जायेगा।
- (2) प्रत्येक वादपत्र आदेश VI और VII में निहित नियमों का पालन करेगा, जहाँ तक वे लागू हों।
- (3) वादपत्र को तब तक सम्यक रूप से वत संस्थित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट उपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है

#### 3. नियम 2- वादो का रजिस्टर।

## 88. A suit in representative capacity can be filed by virtue of: / प्रतिनिधि क्षमता में एक वाद निम्नलिखित के आधार पर दायर किया जा सकता है:

- (a) Order I, Rule 8A of CPC / आदेश I, सीपीसी का नियम 8क
- (b) Order I, Rule 10A of CPC/ आदेश I, सीपीसी का नियम 10क
- (c) Order I, Rule 8 of CPC /आदेश I, सीपीसी का नियम 8
- (d) Order I, Rule 9 of CPC/ आदेश I, सीपीसी का नियम 9

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-** Order I -Parties to Suit.

1. Rule 8- One person may sue or defend on behalf of all in same interest
2. Rule 8A- Power of Court to permit a person or body of persons to present opinion or to take part in the proceedings
3. Rule 9- Misjoinder and non-joinder.
4. Rule 10A- Power of Court to request any pleader to address it.

**Explanation:-** Order I Rule 8 deals with representative suit. A representative suit is a suit that is filed by one or more persons on behalf of themselves and others having same interest in the suit. The general rule is that all persons interested in a suit ought to be joined as parties to it.

**लिंकिंग प्रावधान:-**आदेश I - वार्दों के पक्षकार।



Scan this QR Code to Linking Laws BIOs



- नियम 8-** एक व्यक्ति समान हित में सभी की ओर से मुकदमा या बचाव कर सकता है।
- नियम 8A** - एक ही हित के सभी वैक्तियों की ओर से एक वैक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा।
- नियम 9-** कुसंयोजन का असंयोजन।
- नियम 10A** - न्यायालय की उसको संबोधित करने के लिए किसी प्लीडर से अनुरोध करने की शक्ति।

**स्पष्टीकरण:-** आदेश I नियम 8 प्रतिनिधि मुकदमे से संबंधित है। प्रतिनिधि वाद एक ऐसा मुकदमा है जो एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वयं और मुकदमे में समान हित रखने वाले अन्य लोगों की ओर से दायर किया जाता है। सामान्य नियम यह है कि किसी मुकदमे में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को उसमें पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

**89. List of witnesses, after settlement of issues, must be filed within: / विवादों के स्थिरीकरण के बाद सक्षियों की सूची निम्नलिखित में दाखिल की जानी चाहिए:**

- 60 days / 60 दिन
- 45 days / 45 दिन
- 30 days / 30 दिन
- 15 days / 15 दिन

**Ans. [d]**

**Explanation:- Order XVI Summoning and Attendance of Witnesses**

**Rule 1-** List of witnesses and summons to witnesses.— (1) On or before such date as the Court may appoint, and not later than fifteen days after the date on which the issues are settled, the parties shall present in Court a list of witnesses whom they propose to call either to give evidence or to produce documents and obtain summonses to such persons for their attendance in Court.

**स्पष्टीकरण:-** आदेश XVI सक्षियों को सम्बन्ध करना और उनकी हाजरी। **नियम 1-** सक्षियों की सूची और सक्षियों को समन।—(1) ऐसी तारीख पर या उससे पूर्व जो न्यायालय नियुक्त करे, और विवादों का निपटारा कर दिए जाने से पंद्रह दिन पश्चात न हो पक्षकार न्यायालय में ऐसे सूची पेश करेंगे जिन्हें वे या तोह साक्ष्य देने के लिए दस्तावेजों को पेश करने के लिए बुलाने की प्रस्थापना करते हैं और न्यायालय में ऐसे व्यक्तियों की हाजरी के लिए उनके नाम सामान्य अभिप्राप्त करेंगे।

**90. 'Pleading' can be altered or amended: / 'अभिवचन' को बदला या संशोधित किया जा सकता है:**

- under Order VI, Rule 9 of CPC/ सीपीसी के आदेश VI, नियम 9 के तहत
- under Order VI, Rule 10 of CPC / सीपीसी के आदेश VI, नियम 10 के तहत
- under Order VI, Rule 16 of CPC / सीपीसी के आदेश VI, नियम 16 के तहत
- under Order VI, Rule 17 of CPC/ सीपीसी के आदेश VI, नियम 17 के तहत

**Ans. [d]**

**Linked Provisions:- Order VI- Pleadings.**

- Rule 9-** Effect of document to be stated
- Rule 10-** Malice- knowledge
- Rule 16-** Striking out pleading.

**Explanation . Rule 17-** Amendment of pleadings.— The Court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings in such

manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties:

Provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced, unless the Court comes to the conclusion that in spite of due diligence, the party could not have raised the matter before the commencement of trial.

**लिंकिंग प्रावधान:-** आदेश VI- अभिवचन।

- नियम 9-** दस्तावेज का प्रभाव कथन किया जाना।
- नियम 10-** द्वेष-ज्ञान।
- नियम 16-** अभिवचन का काट दिया जाना।

**स्पष्टीकरण:- नियम 17-** अभिवचनों में संशोधन - न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्ष को अपने अभिवचनों को ऐसे तरीके से और ऐसी शर्तों पर बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है जो उचित हों, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे। पार्टियों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक:

बशर्त कि सुनवाई शुरू होने के बाद संशोधन के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि उचित परिश्रम के बावजूद, पार्टी सुनवाई शुरू होने से पहले मामला नहीं उठा सकती थी।

**91. A suit can be dismissed in default: / किसी वाद को व्यतिरिक्त के लिए खारिज किया जा सकता है:**

- under Order IX, Rule 2 of CPC / सीपीसी के आदेश IX, नियम 2 के तहत
- under Order IX, Rule 3 of CPC/ सीपीसी के आदेश IX, नियम 3 के तहत
- under Order IX, Rule 8 of CPC/ सीपीसी के आदेश IX, नियम 8 के तहत
- both (b) & (c)/ दोनों (बी) और (सी)।

**Ans. [d]**

**Linked Provisions:- Order IX- Appearance of Parties and Consequences of Non- Appearance.**

**1. Rule2.** Dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay costs.

**2. Explanation:- Rule3-** Where neither party appears suit to be dismissed .

**Rule8-** Procedure where defendant only appear.

**लिंकिंग प्रावधान:- आदेश IX** - पक्षकारों की उपसंज्ञाति और उनकी अनुपसंज्ञाति का परिधाम।

नियम 2 - जहाँ समनो की तामील, खर्च देने में वादी के असफल रहने के परिणामस्वरूप नहीं हुई है वह वाद का खारिज किया जाना।

**स्पष्टीकरण:- नियम 3** - जहाँ दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंज्ञात नहीं होता है वह वाद का खारिज किया जाना।

**नियम 8-** जहाँ केवल प्रतिवादी उपसंज्ञात होता है वहाँ प्रक्रिया।

**92. An application under Order IX, Rule 7 of CPC can be made: / सीपीसी के आदेश IX, नियम 7 के तहत एक आवेदन किया जा सकता है:**

- within 60 days of the Order / आदेश के 60 दिनों के भीतर
- within 30 days of the Order / आदेश के 30 दिनों के भीतर





- (c) at any time on or before the next date of hearing / सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले किसी भी समय
- (d) any time during the pendency of the suit. / वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय।

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-** Order IX-Appeal of Parties and Consequences of Non-Appeal.

**Explanation:- Rule 7-** Procedure where defendant appears on day of adjourned hearing and assigns good cause for previous non-appearance—Where the Court has adjourned the hearing of the suit, ex parte, and the defendant, at or before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may, upon such terms as the Court directs as to costs or otherwise, be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance.

**लिंकिंग प्रावधान:-** आर्डर IX - पक्षकारों की उपसंज्ञाति और उनकी अनुपस्थिति का परिणाम।

**स्पष्टीकरण :- नियम 7 -** जहाँ प्रतिवादी आस्थगित सुनवाई के दिन उपसंज्ञात होता है और पूर्व अनुपस्थिति के लिए अच्छा हेतुक दिखता है वह प्रक्रिया - जहाँ न्यायालय में एक्पक्षिय रूप में वादों की सुनवाई आस्थगित कर अच्छा हेतुक दिखता है वह ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय खर्चों और अन्य बातों के बारे में निश्चित करे, उसे वादों के उत्तर में उसी भांति सुना जा सकेगा मनी वह अपनी उपसंज्ञाति के लिए नियत किये गए दिन को उपसंज्ञात हुआ था।

**93. Judgment on admission can be given: / स्वीकृति पर निर्णय दिया जा सकता है:**

- (a) under Order XII, Rule 2 of CPC/ सीपीसी के आदेश XII, नियम 2 के तहत
- (b) under Order XII, Rule 4 of CPC/ सीपीसी के आदेश XII, नियम 4 के तहत
- (c) under Order XII, Rule 6 of CPC /सीपीसी के आदेश XII, नियम 6 के तहत
- (d) under Order XII, Rule 8 of CPC./ सीपीसी के आदेश XII, नियम 8 के तहत

**Ans. [c]**

**Linked Provisions:-**

**1. Sec (17-31)-** Admission. IE Act 1872.

**2. Order XII -** Admission

**3. Rule 2-** Notice to admit documents.

**4. Rule 4-** Notice to admit acts

**5. Rule 6-** Judgment on admissions.

**6. Rule 8-** Notice to produce documents

**Explanation:-** Moreover, if an admission can be inferred from the facts and circumstances of the case without dispute, Court can pass a judgment on such admission. Also it can be seen that judgment on admission can be passed at any stage either on application of party or suo moto.

**लिंकिंग प्रावधान :-**

- 1. धारा (17-31) - स्वीकृति IEA 1872।**
- 2. आदेश XII- स्वीकृति ।**
- 3. नियम 2-** दस्तावेजों को स्वीकार के लिए सूचना।
- 4. नियम 4-** तथ्यों को स्वीकार करने की सूचना

**5. नियम 6-** स्वीकृति के आधार पर निर्णय.।

**6. नियम 8-** दस्तावेज पेश करने का सूचना।

**स्पष्टीकरण:-** इसके अलावा, यदि विवाद के बिना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से किसी स्वीकारोक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है, तो न्यायालय ऐसे प्रवेश पर निर्णय पारित कर सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि प्रवेश पर निर्णय किसी भी स्तर पर या तो पार्टी के आवेदन पर या स्वतः संज्ञान पर पारित किया जा सकता है।

**94. Judgment & decree have been dealt in CPC: / निर्णय और डिक्री सीपीसी में दिये गए हैं:**

- (a) under Order XX / आदेश XX के तहत
- (b) under Order XXI / आदेश XXI के तहत
- (c) under Order XX-A / आदेश XX-क के तहत
- (d) under Order XIX/ आदेश XIX के तहत

**Ans. [a]**

**Linked Provisions:-**

**1. section 33-** Judgment & decree

**2. Order XX- Rule (1-20)** Judgement and Decree.

**3. Order XXI- Rule (1-106)** Execution of Decree and Orders.

**4. Order XXA -Rule (1-2)** Costs.

**5. Section 152-** Amendment of Judgements, decrees or orders.

**Explanations:-** judgements are formal decisions made by judges, whereas court decrees are formal orders issued by judges. Essentially, a judge determines the outcome of a case and the rights and obligations of all parties involved in the case. An argument can be for or against a party.

**लिंकिंग प्रावधान :-**

- 1. धारा 33-** निर्णय एवं डिक्री
- 2. आदेश XX- नियम (1-20)** निर्णय और डिक्री।
- 3. आदेश XXI- नियम (1-106)** डिक्री और आदेशों का निष्पादन।
- 4. ऑर्डर XXA-नियम (1-2)** खर्च ।
- 5. धारा 152-** निर्णय, डिक्री या आदेश में संशोधन।

**स्पष्टीकरण:-** निर्णय न्यायाधीशों द्वारा किए गए औपचारिक निर्णय हैं, जबकि अदालत के आदेश न्यायाधीशों द्वारा जारी किए गए औपचारिक आदेश हैं। अनिवार्य रूप से, एक न्यायाधीश किसी मामले के नतीजे और मामले में शामिल सभी पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है। तर्क किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में हो सकता है।

**95. Provisions relating to interpleader suit are contained in: / अन्तराभिवाची वाद से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल हैं:**

- (a) Order XXXVI of CPC/ सीपीसी का आदेश XXXVI
- (b) Order XXII of CPC /सीपीसी का आदेश XXII
- (c) Order XXXIV of CPC/ सीपीसी का आदेश XXXIV
- (d) Order XXXV of CPC./ सीपीसी का आदेश XXXV।

**Ans. [d]**

**Linked Provisions:-**

**1. section 88-** interpleader

**2. Order XXXV- Rule (1-6)** Interpleader.

**Explanation :-** When the plaintiff on behalf of defendant filed a suit in the court for choosing the actual owner of the property, then it is called interpleader suit. When the plaintiff is not the real







owner of the property he file the suit to know the real owner.

**लिंकिंग प्रावधान :-**

1. धारा 88- अंतराविवाची
2. आदेश XXXV- नियम (1-6) अंतराविवाची ।

**स्पष्टीकरण:-** जब वादी प्रतिवादी की ओर से संपत्ति के वास्तविक मालिक को चुनने के लिए अदालत में मुकदमा दायर करता है, तो इसे इंटरप्लीडर मुकदमा कहा जाता है। जब वादी संपत्ति का असली मालिक नहीं होता है तो वह असली मालिक को जानने के लिए मुकदमा दायर करता है।

**96. Order XII, Rule 8 of CPC pertains to: /सीपीसी का आदेश XII, नियम 8 संबंधित है:**

- (a) notice to admit fact(s)/ तथ्यों को स्वीकार करने के लिए सूचना
- (b) notice to admit document(s) /दस्तावेज़ स्वीकार करने की सूचना
- (c) notice to produce document(s)/ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए सूचना
- (d) both (a) and (b). / दोनों (ए) और (बी)।

**Ans. [c]**

**Explanation:- Order XII Rule 8** Notice to produce documents—Notice to produce documents shall be in Form No. 12 in Appendix C, with such variations as circumstances may require. An affidavit of the pleader, or his clerk, of the Service of any notice to produce, and of the time when it was served, with a copy of the notice to produce, shall in all cases be sufficient evidence of the service of the notice, and of the time when it was served.

**स्पष्टीकरण:- आदेश XII- नियम 8** – दस्तावेजों को पेश करने के लिए सूचना -दस्तावेजों को पेश करने के लिए सूचना परिशिष्ट ग, के प्रारूप संख्या 12 में ऐसे फेफर्हर के साथ होगी जो परिशिष्ट से अपेक्षित हो पेश करने के लिए सूचना की तामील के बारे में और उस समये के बारे में जब उसकी तामील की गयी थी, प्लीडर या उसके लिपि का सपत्पत्र की सूचना की प्रति सहित सभी देशों में सूचना के तामील के बारे में और उस समय के बारे में तामील की गयी थी प्रयास साक्ष्य होगा ।

**97. Under which section of CPC the principles of equity, justice and good conscience are prescribed?/सीपीसी की किस धारा के अंतर्गत समानता, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांत निर्धारित हैं?**

- (a) Section 121 /धारा 121
- (b) Section 131 /धारा 131
- (c) Section 141/ धारा 141
- (d) Section 151 /धारा 151

**Ans. [d]**

**Linked Provisions:-**

1. **Section 482-** Saving of inherent powers of Court (CR.P.C)
2. **Section 149-** Power to make up deficiency of Court fees.
3. **Section 152-** Amendment of Judgements, decrees or orders.

**Explanation:- Sec 151-** Saving of inherent powers of Court.—Nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Court to

make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Court.

**लिंकिंग प्रावधान :-**

1. धारा 482- न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति (CR.P.C)
2. धारा 149-न्यायालय शुल्क की कमी को पूरा करने की शक्ति।
3. धारा 152- निर्णय, डिक्री या आदेश में संशोधन।

**स्पष्टीकरण:-धारा 151-** न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति - इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा की ऐसे आदेश देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है ,जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निर्माण करने के लिए आवश्यक है।

**98. Which of the following decision is not a decree within the meaning of Section 2(2) of CPC? / निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सीपीसी की धारा 2(2) के अर्थ में डिक्री नहीं है?**

- (a) Dismissal of an application for final decree / अंतिम डिक्री के लिए एक आवेदन को खारिज करना
- (b) Award of tribunal in land acquisition case / भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायाधिकरण का निर्णय
- (c) An order of abatement / उपशमन का आदेश
- (d) Order modifying a scheme under Section 92. / धारा 92 के तहत एक योजना को संशोधित करने का आदेश।

**Ans. [b]**

**Linked Provisions:- Sec2(2) "decree"** means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the Court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within sec 144, but shall not include—

- (a) any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order.
- (b) any order of dismissal for default.

**Explanation.—**A decree is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is final when such adjudication completely disposes of the suit. It may be partly preliminary and partly final.

**लिंकिंग प्रावधान :- धारा 2 (2) -डिक्री** से ऐसे न्यायानिर्णयन की प्रारूपिक अभिवेक्ति अभी प्रेत है जो जहा तक की वह उसे अभिवैकत करने वाल्व न्यायालय से अभिव्यिक्त करने वाले न्यायालय से सम्बंधित है वाद मैं के सभी विवादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध मैं पक्षकारों के अधिकार का निशचायक रूप से अवधारण करता है और या तोह प्रारम्भिक या अंतिम हो सकेगी । यह समझा जायेगा की इसके अंतर्गत वादपत्र का मंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है किन्तु इसके अंतर्गत -

- (a) न तो कोई ऐसन्यायेनिर्णयन आएगा जिसकी अपील ,आदेश के अपील की भांति होती है ।
- (b) न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा।

**स्पष्टीकरण.-** एक डिक्री प्रारंभिक होती है जब मुकदमे को पूरी तरह से निपटाने से पहले आगे की कार्यवाही की जानी होती है। यह अंतिम है जब ऐसा निर्णय मुकदमे का पूरी तरह से निपटान कर देता है। यह आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकता है



Scan this  
QR Code to  
Linking Laws BIOs



99. Which of the following is a suit of civil nature? / निम्नलिखित में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद है?

- Suits for upholding mere dignity or honour / केवल गरिमा या सम्मान बनाए रखने के लिए वाद
- Suits for accounts / खातों के लिए वाद
- Suits expressly barred by some enactment / कुछ अधिनियमों द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित वाद
- Suits relating to political questions./ राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद।

Ans. [b]

**Linked Provisions:- Sec 9- Courts to try all civil suits unless barred**—The Courts shall (subject to the provisions herein contained) have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred.

**Explanation**—A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies.

**लिंकिंग प्रावधान :-** धारा 9- जब तक की वर्जित न हो, नयायालय सभी सिविल मामलों का विचारण करेंगे - नयायालय को (इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए) उन बातों के सिवाये जिसका उनके द्वारा संज्ञान अभिवैकत या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचरण की अभिकारिता होगी।

**स्पष्टीकरण-** एक मुकदमा जिसमें संपत्ति या किसी कार्यालय के अधिकार का विरोध किया जाता है, एक नागरिक प्रकृति का मुकदमा है, भले ही ऐसा अधिकार पूरी तरह से धार्मिक संस्कारों या समारोहों के प्रश्नों के निर्णय पर निर्भर हो सकता है।

100. The material facts on which a party relies are called: / वे महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर कोई पक्ष भरोसा करता है, कहलाते हैं:

- facta probantia / फैक्टा प्रोबैंटिया
- facta probanda / फैक्टा प्रोबैंडा
- falsa demonstratio non nocet / फाल्सा डिमॉन्स्ट्रैटियो नॉन नोसेट
- fences terraria / फेन्सेस टेरारिया

Ans. [b]

**Explanation:-**

- factum probans (facta probantia) is a fact offered in evidence as proof of another fact, and a factum probandum (pl. facta probanda) is a fact that needs to be proved.
- Facta Probanda: The facts by means it is to be proved i.e. particulars. Pleadings should contain a Facta Probanda and not Facta Probandia.
- In case the parties have used the wrong term but mean the same thing, their common intention prevails (falsa demonstratio non nocet)

**स्पष्टीकरण:-**

- फैक्टम प्रोबंस (फैक्टा प्रोबैंटिया) एक तथ्य है जिसे किसी अन्य तथ्य के प्रमाण के रूप में साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है, और फैक्टम प्रोबैंडम (पीएल फैक्टा प्रोबैंडा) एक ऐसा तथ्य है जिसे साबित करने की आवश्यकता है।

2. तथ्य प्रोबैंटिया: तथ्यों को इसके माध्यम से सिद्ध किया जाना है अर्थात विवरण। अभिवचनों में फैक्टा प्रोबैंडा होना चाहिए न कि फैक्टा प्रोबैंटिया।

3. यदि पार्टियों ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है लेकिन उनका मतलब एक ही है, तो उनका सामान्य इरादा प्रबल होता है ("फाल्सा डिमॉन्स्ट्रैटियो नॉन नोसेट")

